



भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार (सिविल)
विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2015 की प्रतिवेदन सं. 32

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र
2015 की प्रतिवेदन सं. 32

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v-vii
अध्याय I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
सं.शा.क्षे. की संवैधानिक स्थिति	1.2	1
प्रशासनिक प्रबंधन	1.3	2
वित्तीय प्रबंधन	1.4	3
लेखापरीक्षा का अधिकार	1.5	3
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.6	4
लेखापरीक्षा के संबंध में सरकार की उत्तरकारिता का अभाव	1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.8	5
ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति संघ शासित क्षेत्रों का उत्तर	1.9	6
अनुशंसाएं	1.10	6
अध्याय II : संघ शासित क्षेत्र (व्यय क्षेत्र)		
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
2011-14 की अवधि हेतु पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण	2.1	7
एक परियोजना को प्रारम्भ करने में अनुचित विलम्ब	2.2	25
निष्फल व्यय	2.3	29
दादरा एवं नगर हवेली		
₹317.03 लाख का व्यर्थ व्यय	2.4	30

दमन एवं दीव		
बजट अनुदान की समाप्ति से बचने के लिए ₹5.50 करोड़ का अनियमित आहरण	2.5	32
संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण न किया जाना	2.6	33
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली	2.7	35
लक्षद्वीप		
सरकारी निधियों का अनियमित रखा जाना	2.8	36
विशेष भत्ते का अधिक भुगतान	2.9	38
इंसीनरेटरों के प्रापण एवं संस्थापन में विलंब	2.10	40
लेखापरीक्षा के उल्लेख करने पर वसूली ₹27 लाख	2.11	42
अध्याय III : राजस्व क्षेत्र		
प्रस्तावना	3.1	45
अनुपालना लेखापरीक्षा मुद्दे	3.2	50
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
सेवा कर का उद्ग्रहण न किया जाना	3.2.1	50
चंडीगढ़		
पट्टे विलेखों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क कम लगाया जाना –₹ 226.57 लाख	3.2.2	51
बिजली बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2.3	52
दादरा एवं नागर हवेली		
किराए की आय पर सेवा-कर का संग्रहण न होना	3.2.4	55
दमन एवं दीव		
राजस्व की हानि	3.2.5	56
अनुबंध	59-72	
परिशिष्ट	73-77	

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में बिना विधानमण्डलों वाले पाँच संघ शासित क्षेत्रों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं जो 2013-14 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा में तथा जो पहले के वर्षों में पाए गए थे परंतु उनको पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किया जा सका था; जहां कहीं आवश्यक था, 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी इसमें शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

विहंगावलोकन

भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग-II के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सात संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के अतिरिक्त सं.शा.क्षे. में विधान मण्डल नहीं हैं। बिना विधान मण्डल वाले पाँच सं.शा.क्षे. की लेखापरीक्षा से उजागर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को 2014 तक संघ सरकार के नि.म.ले.प. के अनुपालना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जा रहा था। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को पहली बार बिना विधानमण्डल वाले सं.शा.क्षे. के संबंध में एक अलग प्रतिवेदन के रूप में तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल हैं। अध्याय-I संक्षिप्त प्रस्तावना तथा पहले के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही, टिप्पणियों की सारांशिकृत स्थिति तथा इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों से प्राप्त उत्तरों की स्थिति प्रदान करता है। अध्याय II से III विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रस्तुत करते हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने सं.शा.क्षे. विभागों/संगठनों की लेखापरीक्षा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कमियों को सूचित किया है। वर्तमान प्रतिवेदन में ऐसी लेखापरीक्षाओं पर आधारित अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल है। विशिष्टताओं को निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

पत्तन प्रबंधन बोर्ड में वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण

पत्तन प्रबंधन बोर्ड (प.प्र.बो.) के उद्देश्यों में अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (अ.नि.द्वी.) के पत्तनों पर पत्तन सुविधाओं के विस्तार, विभिन्न प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के प्रति एवं बन्दरगाहों की सफाई-व्यवस्था हेतु नियमों एवं विनियमों का निरूपण शामिल हैं। तथापि, सभी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित शक्तियाँ प.प्र.बो. को प्रदत्त नहीं थी। प.प्र.बो. द्वारा निष्पत्ति किए जा रहे कार्यों के सुगम संचालन हेतु आवश्यक आवधिक नियमों एवं विनियमों को तैयार करने हेतु प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई थी। इस प्रकार, जलयान/माल संबंधित सेवाओं हेतु प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण में कमियां थी; माल प्रबंधन हेतु कार्यबल को दक्षता पूर्वक नियंत्रित नहीं किया गया था; राजस्व के संवर्धन हेतु कोई नीति नहीं थी और न ही भूमि प्रबंधन हेतु कोई नीति तैयार की गई थी। उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण

तंत्र के अभाव ने आगे प.प्र.बो. के कार्य करने को प्रभावित किया। प.प्र.बो. ने अधिकांश लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 2.1)

₹317.03 लाख का निष्फल व्यय

लोक निर्माण विभाग, संघ शासित क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली ने पाईपलाईन नेटवर्क में पाईपों की विशिष्टताओं, जैसा कि मैसर्स वाटर एण्ड पॉवर कंसलटेंसी सर्विसिस (इण्डिया) लि., सलाहकार, द्वारा सिफारिश की गई थी, की अनुपालना नहीं की गई थी जिसका परिणाम ₹317.03 लाख के व्यर्थ व्यय के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 2.4)

संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण न करना

पुलिस विभाग हेतु संचार नेटवर्क के लिए टेद्रा प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन की विफलता का परिणाम संचार प्रणाली के गैर-आधुनिकीकरण में हुआ। प्रणाली, तटीय तथा संवेदनशील सं.शा.क्षे. में आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य गतिविधि है। सं.शा.क्षे. प्रशासन ने चार वर्षों से अधिक के लिए ओमनिवस औद्योगिक विकास निगम के पास ₹484.38 लाख की निधियों को भी अवरुद्ध किया।

(पैराग्राफ 2.6)

सरकारी निधियों को अनियमित रूप से जमा रखना

लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (ल.वि.नि.लि.) के पास ₹216.59 करोड़ तक की निधियों को जमा रखने तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप (सं.शा.क्षे.ल.) को ₹40.48 करोड़ की अव्ययित राशि को वापस न किए जाने का परिणाम ₹257.07 करोड़ तक सरकारी धन के अवरोधन के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 2.8)

विशेष भत्ते का अधिक भुगतान

वित्त मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को द्वीप विशेष कार्य भत्ता (द्वी.वि.का.भ.) के अतिरिक्त एक ही समय पर दो विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते अर्थात् विशेष क्षतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्ता (वि.क्ष.दू.स्था.भ.) तथा हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) अनुमत किया। यह ₹79.87 लाख के अधिक भुगतान का कारण बना।

(पैराग्राफ 2.9)

पट्टे करारों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ द्वारा पट्टे करारों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क की लागू दर की कम वसूली करने का परिणाम ₹226.57 लाख की कम वसूली के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 3.2.2)

किराया आय पर सेवा कर का संग्रहण न करना

स्थायी सम्पत्ति को किराए पर देने को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 से सेवा कर की सीमा में लाया गया था। सेवा कर का विलम्बित भुगतान उस पर ब्याज को भी आकर्षित करता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि सं.शा.क्षे. दादरा एवं नागर हवेली के पर्यटन विभाग ने विभिन्न स्थानों पर अपनी सम्पत्तियों को निजी दलों को पट्टे पर दिया था। तथापि, विभाग ने न तो सेवा कर का संग्रहण किया और न ही इस सेवा कर विभाग को जमा कराया जिसका परिणाम कर तथा ब्याज के कारण ₹51.54 लाख की कुल देयता में हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि उसने अक्टूबर 2014 तक ₹10.01 लाख की राशि की पहले ही वसूली कर ली थी।

(पैराग्राफ 3.2.4)

अध्याय I : प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

इस प्रतिवेदन में बिना विधानमण्डलों वाले पाँच संघ शासित क्षेत्रों की अनुपालना लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। अनुपालना लेखापरीक्षा, यह पता लगाने हेतु कि क्या भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना की जा रही है, लेखापरीक्षित अस्तित्वों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से संबंधित लेन-देनों का उल्लेख करती है। अनुपालना लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्ता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की जांच भी शामिल है।

लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों¹ के अनुसार की गई है। यह मानक मानदण्डों को निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षकों को अनुपालना प्रत्याशित है तथा जो अनुपालना न करने एवं दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ कमजोरियों जो वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद हैं, पर रिपोर्टिंग को अपेक्षित करते हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को कार्यकारी को शोधक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं दिशासूचकों को तैयार करने, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन का कारण बनेंगे, में भी समर्थ बनाना अपेक्षित है जो इस प्रकार अच्छे नियंत्रण में योगदान करेंगे।


इस प्रतिवेदन में बिना विधानमण्डलों वाले सं.शा.क्षे. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों की अनुपालना लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। पिछले वर्ष तक बिना विधानमण्डल वाले सं.शा.क्षे. के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अनुपालना लेखापरीक्षा पर संघ सरकार हेतु नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जा रहा था। सं.शा.क्षे. की लेखापरीक्षा का एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य तथा वित्त-व्यवस्थाओं के अवलोकन को सामने लाने के लिए पहली बार एक अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

1.2 सं.शा.क्षे.की संवैधानिक स्थिति

भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग के अंतर्गत सात संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) हैं अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी इनमें से केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी में विधानमंडल, मंत्रीमंडल परिषद तथा अपनी स्वयं की समेकित निधि है। शेष पाँच बिना विधानमण्डलों के हैं।

¹http://www.saiindia.gov.in/english/home/Our_Process/Audit_Methology/Audit_Standards/Auditing_Standards.pdf

मानचित्र (चार्ट-1)



1.3 प्रशासनिक प्रबंधन

भारत सरकार (व्यवसायों का आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत गृह मंत्रालय (गृ.मं.) सं.शा. हेतु विधायी मामलों, वित्त एवं बजट तथा सेवाओं के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक सं.शा. क्षेत्र. राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त एक प्रशासक द्वारा नियंत्रित है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में, उप राज्यपाल को चण्डीगढ़ के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है जबकि पंजाब के राज्यपाल को चण्डीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप में ए.जी. एम.यू.टी. कैडर के वरिष्ठ भा.प्रा.से. अधिकारियों को प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया गया है। बिना विधानमण्डल वाले सं.शा.क्षे. में सं.शा.क्षे. से संबंधित मामलों पर प्रशासकों को सलाह देने हेतु 'प्रशासक सलाहकार परिषद' स्थापित किए गए हैं। सं.शा.क्षे. के सामाजिक तथा आर्थिक विकास से संबंधित आम मामलों का निपटान करने हेतु गृह मंत्री की सलाहकार समितियों को स्थापित किया गया है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के द्वीप सं.शा.क्षे. हेतु प्रधान मंत्रालय के अधीन द्वीप विकास प्राधिकरण (द्वी.वि.प्रा.) है।

1.4 वित्तीय प्रबंधन

सं.शा.क्षे. के संबंध में बजट प्रावधान गृ.मं. की अनुदानों हेतु विस्तृत माँग (अ.वि.मां.) में किए जाते हैं। सं.शा.क्षे. के प्रशासकों को गृ.मं. द्वारा योजनागत योजनाओं की संस्वीकृति हेतु कुछ सीमा तक वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है। अ.वि.मां. में, गृ.मं. सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रत्येक सं.शा.क्षे. हेतु सं.शा.क्षे.-वार बजट प्रदान किया जाता है। मौजूदा निधीयन प्रबंधन के अनुसार, सं.शा.क्षे. प्रशासनों को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने व्यय प्रस्तावों को संबंधित मंत्रालय को प्रेषित करना अपेक्षित है।

1.5 लेखापरीक्षा का अधिकार

नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा का अधिकार तथा संसद को सूचना प्रदान करने को भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 तथा 151 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त किया गया है। नि.म.ले.प., नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम⁴ की धाराएं 13² तथा 17³ के अंतर्गत संबंधित सं.शा.क्षे. प्रशासन के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। नि.म.ले.प. स्वायत्त निकायों, जिनकी नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम की धारा 19 (2)⁵ तथा 20 (1)⁶ के तहत लेखापरीक्षा की जाती है, के संबंध में एकमात्र लेखापरीक्षक है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. अधिनियम की धारा 14⁷ के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य स्वायत्त निकायों की भी लेखापरीक्षा करता है जो भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं। विभिन्न लेखापरीक्षाओं हेतु सिद्धांतों तथा पद्धति को नि.म.ले.प. द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखे 2007 पर लेखापरीक्षा मानक तथा विनियम में निर्धारित हैं।

4 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा की शर्तें) अधिनियम 1971

2 (i) भारत की समेकित निधि से किए गए सभी व्ययों, (ii) आकस्मिक निधि तथा लोक लेखाओं से संबंधित सभी लेने देनों (iii) सभी, व्यापार, उत्पादन, लाभ एवं हानि लेखाओं, तुलन पत्र तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

3 संघ अथवा राज्य के किसी भी कार्यालय अथवा विभाग में रखे भण्डार तथा सामग्री के लेखाओं पर लेखापरीक्षा तथा प्रतिवेदन

5 संसद द्वारा संबंधित विधान सभाओं के प्रावधानों के अनुसार विधि के द्वारा अथवा अंतर्गत स्थापित निगमों (कम्पनियां न होने से) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

6 जहाँ संसद द्वारा बनाए किसी भी कानून द्वारा अथवा अंतर्गत किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी नहीं गई है और अगर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है तो वह ऐसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा जिस पर इसके तथा सरकार के बीच सहमति की गई हो।

7 (i) भारत की समेकित निधि से अनुदानों अथवा ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय अथवा प्राधिकरण, की सभी प्राप्तियों तथा व्यय तथा (ii) किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण, जहाँ ऐसी निकाय अथवा प्राधिकरण को एक वित्तीय वर्ष में भारत की समेकित निधि से अनुदानें अथवा ऋण एक करोड़ से कम नहीं है, की सभी प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय, कार्यों के महत्व/जटिलता, प्रत्योजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा पणधारकों की चिंताओं के आधार पर सामना किए गए जोखिमों के निर्धारण के साथ आरम्भ होती है। इस कार्य में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की बारंबारता तथा सीमा निर्धारित की जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा के समापन के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल होते हैं, विभागों के अध्यक्ष को जारी किए जाते हैं। विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति से एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों का निपटान किया जाता है या अनुपालना हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में शामिल करने हेतु संसाधित किया जाता है।

2013-14 के दौरान, लेखापरीक्षा कार्यालयों में बिना विधानमण्डल वाले पाँच सं.शा.क्षे. में स्थित 293 इकाईयों की अनुपालना लेखापरीक्षा की थी।

1.7 लेखापरीक्षा के संबंध में सरकार की उत्तरकारिता

यह सुनिश्चित करने लिए कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने अपना प्रत्याशित उद्देश्यों को पूरा किया है तथा सरकार ने अपना पूर्ण मूल्य प्राप्त किया है, आपत्तियों का अभिज्ञ, शीघ्र तथा प्रभावशील अनुसरण तथा सरकार को महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सामयिक सूचना अनिवार्य है। आपत्तियों के निपटान का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से संवितरण अधिकारियों, कार्यालयों के अध्यक्षों तथा नियंत्रण प्राधिकारियों पर सौंपा जाता है। कार्यालयों के अध्यक्षों तथा उनके बाद के उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में शामिल अभ्युक्तियों का अनुपालन, त्रुटियों तथा अनाचरणों का शीघ्रता से सुधार तथा नि.प्र. की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर लेखापरीक्षा को अपनी अनुपालना जारी किए जाते हैं जिनमें शीघ्र ही उत्तरों को प्रस्तुत करने हेतु उनसे अनुरोध किया जाता है। 31 मार्च 2014 को, बिना विधानमण्डल वाले पाँच सं.शा.क्षे. के अंतर्गत विभिन्न विभागों/संस्थानों के संबंध में 7482 पैराग्राफोंवाली 2273 नि.प्र. निपटान हेतु बकाया थीं। लंबित नि.प्र. तथा पैराग्राफों के सं.शा.क्षे.—वार ब्यौरे परिशिष्ट—1 में दिए गए हैं।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को संसद के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने के तुरंत पश्चात इनमें शामिल विभिन्न पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई को दर्शाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए थे।

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 22 अप्रैल 1997 को संसद को प्रस्तुत की गई अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में माँग की थी कि मार्च 1994 तथा मार्च 1995 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लंबित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण तीन महिनों की अवधि के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए तथा सिफारिश की थी कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के आगे से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर का.टि. को संसद में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने से चार महीनों के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुर्निरक्षण कराके प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, लो.ले.स. ने, 20 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में सिफारिश की थी कि मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को शोधक कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. का का.टि. प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्बों के सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से जबावदेही बनाया जाना चाहिए।


लो.ले.स. ने यह भी माँग की कि का.टि. प्रस्तुतीकरण में विलम्ब से संबंधित मामले को आवधिक रूप से, विशेषतः त्रैमासिक अंतराल पर, सचिवों की समिति (स.स.) समक्ष लाया जाना चाहिए जिससे कि सभी चूककर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उनकी सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रीमण्डल सचिवालय में स.स. द्वारा कई बैठकें की गई थी जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे।

नवम्बर 2012 को हुई अपनी बैठक में स.स. ने पाया कि चूंकि सभी मंत्रालयों/विभागों ने पहले ही स्थायी लेखापरीक्षा समिति (स्था.ले.प.स.) का गठन कर लिया था इसलिए वह सुनिश्चित करें कि लंबित पैराग्राफों/प्रतिवेदनों के निपटान हेतु कार्याशालाओं/अदालतों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी पाया गया था कि पुराने पैराओं में 50 प्रतिशत कटौती के सम्मत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा था।

जबकि यह प्रत्याशित है कि विचाराधीनता में अभिकल्पित 50 प्रतिशत कटौती कुछ समय लेगी फिर भी बिना विधानमण्डल वाले सं.शा.क्षे. के संबंध में पिछले पाँच वर्षों से लंबित का.टि. की संख्या बढ़ रही है जैसा निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट-2



जबकि 31 मार्च 2015 को प्रथम उत्तर हेतु कोई का.टि. लंबित नहीं थी फिर भी 14 का.टि. गृ.मं. से आगे के उत्तरों की माँग के कारण निपटान हेतु लंबित थे। ब्यौरे परिशिष्ट- II में दिए गए हैं।

1.9 ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति संघ शासित क्षेत्रों का उत्तर

लो.ले.स. की अनुशंसा पर, वित्त मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों का पैराग्राफों के प्राप्ति से छः सप्ताहों के भीतर अपने उत्तर भेजने हेतु जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए थे।

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शामिल 16 पैराग्राफों में से 13 में संघ शासित क्षेत्रों के विभागों/प्रशासकों/मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं किए गए थे। ब्यौरों को परिशिष्ट - III में दर्शाया गया है।

1.10 अनुशंसाएं

इस प्रतिवेदन में कुछ मामलों पर विशेष अनुशंसाएं शामिल हैं जिसमें निर्धारित आंतरिक प्रक्रियाएं तथा प्रणालियों की अनुपालना न करना शामिल है जिनकी अनुपालना बड़े पैमाने पर विभागीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा उद्देश्यों के अच्छे नियंत्रण तथा निरीक्षण को बढ़ावा देने में सहायता करेगी। सरकार को अनुशंसाओं का संज्ञान लेने तथा समयबद्ध प्रकार से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

अध्याय II : संघ शासित क्षेत्र (व्यय क्षेत्र)


2011-12 से 2013-14 की अवधि हेतु बिना संविधान वाले सं.शा.क्षे. के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक व्यय के विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय		
	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल
2011-12	3140.22	6071.69	9211.91	3027.77	6682.68	9710.45	2953.40	6619.62	9573.02
2012-13	4015.20	6688.70	10703.90	3362.76	7057.05	10419.81	3334.70	7046.18	10380.88
2013-14	4483.30	5700.88	10184.18	3757.41	5817.89	9575.30	3663.83	5813.96	9477.79

निम्नलिखित पाई-चार्ट तीन-वर्ष की अवधि के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत के अंतर्गत किए गए व्यय के प्रमुख घटकों को दर्शाता है:

चार्ट-1



जबकि योजनागत शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 31 प्रतिशत प्रमुख कार्यों पर व्यय किया गया था, जिसके बाद सहायता अनुदान भुगतानों पर 20 प्रतिशत, गैर-योजनागत व्यय का प्रमुख अंश वेतनों पर 31 प्रतिशत का था।

संघ शासित क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

2.1 2011-14 की अवधि हेतु पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण

2.1.1 प्रस्तावना

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (अ.नि.द्वी.स.) के संघ शासित क्षेत्र की जीवन-रेखा नौपरिवहन है। अ.नि.द्वी.स. में 23 अधिसूचित पत्तन तथा 14 अन्य पत्तन हैं। पत्तन गतिविधियों

पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अक्तूबर 1983 में पत्तन प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की गई थी। सचिव, अ.एवं नि. प्रशासन अध्यक्ष है तथा मुख्य पत्तन व्यवस्थापक बोर्ड का कार्यात्मक शीर्ष है।

प.प्र.बो. के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- पोत संबंधी सेवाएं तथा मार्गदर्शन, बर्थिंग/अनबर्थिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करना
- यात्रियों तथा कार्गो के लिए हैंडलिंग सुविधाएं तथा कार्गो को छुड़ाने की सुविधा प्रदान करना
- बंदरगाहों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए नियमावली बनाना
- नौपरिवहन तथा सामान के भंडारण तथा अन्य संपत्ति को लाने ले जाने के लिए प्रभारों को तैयार करना
- सुरक्षित बर्थिंग के लिए समुद्री संचार तथा नौवहन सहायता प्रदान करना।

पत्तनों/बंदरगाहों के अनुरक्षण आवश्यकताओं तथा सभी मुख्य निर्माण गतिविधियां अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य (अ.ल.बं.नि.का.), नौपरिवहन मंत्रालय (नौ.प.मं.) के अंतर्गत एक विभाग द्वारा की जाती हैं।


2.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

2011-12 से 2013-14 की अवधि को शामिल करते हुए 'प.प्र.बो. का वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण' की लेखापरीक्षा की गई थी।

2.1.3 प.प्र.बो. की स्थिति

अक्तूबर 1983 में अपनी स्थापना के समय पर यह परिकल्पित किया गया था कि मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य पत्तनों के न्यासी बोर्ड के समान शक्तियां एवं कार्य पत्तन प्रबंधन बोर्ड के होंगे। परंतु अपने राजस्व में वृद्धि करने एवं अ.नि.द्वी.स. में पत्तनों के विकास संरक्षण और विकास सुनिश्चित करने तक प.प्र.बो. को अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए प.प्र.बो. के राज्य समुद्री बोर्डों के समान ऐसे स्वायत्त स्थिति या शक्तियों को प्रदान नहीं किया था। पिछले 5 वर्षों के दौरान अ.नि.द्वी.स. के पत्तनों पर हैंडल किए गए कार्गो की तुलना दर्शाती है कि प.प्र.बो., तमिलनाडु समुद्री बोर्ड के सममूल्य था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट-2



प.प्र.बो. प्रशासन के सिविल विभाग के रूप में निरंतर रूप से कार्य कर रहा था। यद्यपि, पो.प्र.बो. का प्राथमिक उद्देश्य पत्तन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभारों को तैयार करना तथा पत्तनों एवं बंदरगाहों के संरक्षण हेतु नियमावली बनाने के लिए है, परंतु उचित शक्तियों की अनुपस्थिति में, इसके द्वारा ऐसी कोई नियमावली/प्रभारों को तैयार नहीं किया गया था। अ.नि.द्वी.स. के लोगों को सेवाओं एवं सुविधाओं की प्रभावी संवितरण हेतु न तो कोई नियम/नियमावली/मैनुअल को तैयार किया गया था न ही भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत नौ.प.मं. की अधिसूचनाओं के आधार पर जहाज एवं कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कोई प्रभारों का संग्रहण किया गया था।

प.प्र.बो. की वर्तमान की अस्थिर स्थिति के साथ प.प्र.बो. प्रभावी एवं कुशल कार्यान्वयन हेतु नियमों को तैयार करने में प्रशासन की विफलता के कारण विभिन्न कमियां हुई जिसकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है:


2.1.4 वित्त एवं लेखे

2.1.4.1 बजट एवं व्यय

गृह मंत्रालय द्वारा आवंटित संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) बजट से प.प्र.बो. ने निधियां प्राप्त की थीं। योजनागत (शीर्ष 3051 एवं 5051 के अंतर्गत) तथा गैर-योजनागत निधियों (शीर्ष 3051 के अंतर्गत) के लिए बजट एवं व्यय की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:


चार्ट-3

योजनागत निधियां



चार्ट-5

गैर-योजनागत निधियां



प.प्र.बो. द्वारा किया गया व्यय मुख्य रूप से विमान का संचालन¹, नौवहन सहायता², जहाज कुली गतिविधियां³, मरम्मत/रखरखाव घाटों के निर्माण आदि पर हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प.प्र.बो. वसूल किए गए राजस्व में से किसी प्रकार का व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा करना था।

यह पाया गया था कि मुख्य निर्माण कार्यों, उपकरण के प्रापण, घाटों का रखरखाव तथा प्राधिकरण पत्र के माध्यम से अ.ल.ब.नि.का. नामक निष्पादन अभिकरण को कार्गो हैंडलिंग उपकरण का स्थानांतरण कर दिया गया था क्योंकि प.प्र.बो. के पास चेक आहरण शक्तियां नहीं थीं। हालांकि, अ.ल.ब.नि.का. से पूर्ण हुई परिसंपत्तियों को लेने की कोई प्रणाली नहीं थी। 2011-14 के दौरान अ.ल.ब.नि. का द्वारा ₹44.14 करोड़ के शुरू किए गए 22 निर्माण कार्यों में से ₹12.20 करोड़ के नौ (9) निर्माण कार्य मार्च 2014 तक पूर्ण हो चुके थे (अनुबंध - 1)। प्रचलित अभ्यास के अनुसार, कोई भी पूर्ण हुए निर्माण कार्य प.प्र.बो. द्वारा नहीं लिए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अ.ल.ब.नि.का. द्वारा भी इन परिसंपत्तियों की लेखाबद्ध नहीं किया गया था।

अनुशंसा: प.प्र.बो. के लिए अ.ल.ब.नि.का. द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को औपचारिक रूप से लिया जाना चाहिए तथा लेखाबद्ध किया जाना चाहिए।

अनुशंसा को प.प्र.बो. द्वारा स्वीकार किया गया था (मई 2015)।

¹विमान का संचालन: बांधने, उथली जगह, स्थलों, आदि के माध्यम से जहाजों की चाल।

² नौवहन सहायता: दिन के प्रकाश, प्रकाश लाइटें, उठा हुआ बॉय तथा पत्तनों में जहाजों/पोतों के सुरक्षित नौवहन हेतु अन्य संकेतों जैसी सहायता

³ जहाज कुली गतिविधियां: जहाजों/पोतों से कार्गो को चढ़ाने एवं उतारने से संबंधित गतिविधियां

2.1.4.2 प्रोफार्मा लेखे को तैयार न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली⁴ में निर्धारित है कि जहाँ वाणिज्यिक या अर्ध-वाणिज्यिक आधार पर कार्य कर रहे कुछ सरकारी विभागों के संचालनों को रोकड़ आधारित सरकारी लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत उचित रूप से लाया नहीं जा सकता, वहाँ इकाईयों के अध्यक्षों को सरकार एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बीच सहमत रूप से वाणिज्यिक रूप में सहायक प्रोफार्मा लेखे बनाने चाहिए। इसमें उपयुक्त विनिर्माण, व्यापार, लाभ और हानि खाते तथा तुलन पत्र शामिल है।

चूंकि प.प्र.बो. का संचालन वाणिज्यिक प्रकृति का है, 1989-90 और 1990-91 के लिए प्रोफार्मा लेखे इसके द्वारा तैयार किए गए थे। उसी की लेखापरीक्षा की गई और इस अभ्युक्ति के साथ कि 1989 से पूर्व के शेषों का अभिकलन नहीं किया गया था, अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। प.प्र.बो. की वर्ष-वार वित्तीय स्थिति का 1991-92 से पता नहीं लगाया जा सका था क्योंकि 1990-91 से प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे। प.प्र.बो. आज तक पूर्व की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का अनुपालन करने में विफल रहा था। प.प्र.बो. ने बताया (जनवरी 2015) कि प्रोफार्मा लेखे इसलिए तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि परिसंपत्तियों की संपूर्ण स्थिति को दर्शाते हुए कोई परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं था। यह सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 190(2) अनुसार नहीं था जोकि सभी परिसंपत्तियों के लेखाबद्ध होने को निर्धारित करता है।

अनुशंसा: निर्धारित रूप से, प.प्र.बो. को प्रोफार्मा लेखे में वार्षिक वित्तीय स्थिति के प्रस्तुतीकरण हेतु तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

प.प्र.बो. द्वारा अभ्युक्ति एवं अनुशंसा को स्वीकार किया गया था (मई 2015)।

2.1.5 व्यय प्रबंधन

2.1.5.1 पत्तन श्रमिकों के संदर्भ में श्रमबल तथा परिणामों तथा स्वीकृत तथ्य एवं अतिरिक्त स्टाफ भर्ती करने का पुर्नसंशोधन न किया जाना

अण्डमान श्रम बल (अं.श्र.ब.) में पोर्ट ब्लेयर में प.प्र.बो. द्वारा कार्यरत श्रमिक शामिल है ताकि वह प्रशासन तथा अन्य सरकारी विभागों/एस.सी.आई. पोतों के लिए जहाज से किनारे और किनारे से जहाज तक कार्गो को हैंडल कर सके। श्रम बल परिणामों⁵ तथा स्वीकृत तथ्य⁶ के लिए कार्गो के विभिन्न प्रकारों के लिए पत्तन श्रमिकों को प्रोत्साहनों के भुगतान के मानदंड 1975 में निर्धारित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि यंत्रीकृत कार्गो के विभिन्न प्रकारों को 1978 और 1989 के बीच शुरू किया गया था, प.प्र.बो. ने श्रमबल परिणामों तथा

⁴ सा.वि.नि. -1963 का नियम 299 अब सा.वि.नि.-2005 का नियम 84

⁵ श्रमबल परिणाम: गैंग में तैनात लोगों की संख्या

⁶ स्वीकृत तथ्य: प्रति पारी में प्रति गैंग का न्यूनतम किया गया काम।

स्वीकृत तथ्य को संशोधित नहीं किया था जबकि समय-समय पर केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन के आधार पर उन्होंने प्रोत्साहनों का भुगतान किया था। कंटेनरीकृत कार्गो के लिए अलग से श्रमबल परिणाम तथा स्वीकृत तथ्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

- अं.श्र.ब. के श्रमिकों को प्रत्येक में 27 सदस्यों⁷ के 12 गैंगों में कार्यरत रखा गया था जबकि अन्य मुख्य पत्तन गैंगों में 9 से 17 सदस्य थे।
- 2011-14 के दौरान गैंगों की तैनाती केवल 11 से लेकर 18 प्रतिशत तक थी परंतु पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर अं.श्र.ब. श्रमिकों को उनके इष्टतम उपयोग के लिए घाट-शुल्क पत्तनों में स्थानांतरण नीति नहीं थी।
- 2011-14 के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रति गैंग द्वारा हैंडल किए गए कार्गो का औसतन परिणाम 47.65 एम.टी. तथा 84.70 एम.टी. था। प्रत्येक दिन की श्रमिक उत्पादकता केवल 4.84 कि.ग्रा. से लेकर 8.59 कि.ग्रा. के बीच थी जिसे एक वर्ष में हैंडल किए गए कार्गो के कुल परिणाम से तैनात श्रमिकों की कुल संख्या से भाग करके निकाला गया था।
- 2011-14 के दौरान, प्रत्येक एम.टी. पर सृजित राजस्व ₹89 से लेकर ₹94 तक था। जबकि प्रत्येक एम.टी. के कार्गो को हैंडल करने की लागत ₹3,149 से लेकर ₹3,676 तक थी।

उपरोक्त के अलावा, कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे कि अनुवर्ती पैराग्राफ में विस्तृत रूप से दिया गया है।

2.1.5.2 कंटेनरीकृत कार्गो के लिए प्रोत्साहन भुगतान पर ₹1.80 करोड़ का परिहार्य व्यय

भा.स. द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन योजना जोकि विशेष रूप से केवल मैनुअल कार्गो हैंडलिंग के लिए बनाई गई थी, इसके अनुसार नवम्बर 1975 में निर्धारित मानदंडों के आधार पर अं.श्र.ब. को प्रोत्साहन भुगतान किए गए थे। संबंधित आदेश में खुले ट्रक, ट्राली, ट्रेलरों, फोर्कलिफ्ट तथा चलायमान घाट क्रेन जैसे आधुनिक उपकरण के साथ मानदंडों का पुर्ननिर्माण निर्धारित किया गया था।

1978 तथा 1989 के बीच कार्गो हैंडलिंग के लिए मशीनीकृत मशीनरी/उपकरण अर्थात् 6-25 टन घाट क्रेनों, 45 टन की पहुँच वाले स्टेकर, 3-25 टन के फोर्कलिफ्ट आदि के प्रापण के पश्चात् 1991 में पोर्ट ब्लेयर में कंटेनरीकृत कार्गो सेवाओं की शुरुआत की गई थी। इसलिए पोर्ट ब्लेयर में कंटेनरीकृत कार्गो की हैंडलिंग मैंगलौर एवं तूतीकोरिन जैसे अन्य पत्तनों के समान थी तथा किसी हैड लोड की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि, प.प्र.बो. या

⁷ प्रत्येक गैंग में 2 मुख्य कार्यकर्ता, 2 सिग्नल-मैन, 3 विंचमैन, एवं 20 मजदूर शामिल हैं

प्रशासन द्वारा कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए कोई स्वीकृत तथ्य या श्रमिक परिणाम निर्धारित नहीं किया गया था, प्रोत्साहन भुगतान उद्देश्य हेतु हैंडल किए गए कुल भार के आधार पर इसे सामान्य कार्गो के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत के अन्य पत्तनों में, कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए तथ्य को या तो हैंडल किए गए कंटेनरों की संख्या या फिर प्रत्येक श्रमिक द्वारा हैंडल किए गए वजन पर निर्धारित किया जाता था तथा गैंग का संयोजन 6-12 श्रमिकों के बीच होता था। परंतु प.प्र.बो. में 27 सदस्यों का पूरा गैंग प्रत्येक कंटेनर में लदान/उतराई के लिए तैनात किया गया था। यह भी पाया गया था कि कंटेनर को तट से जहाज या जहाज से तट तक स्थापित करने के लिए प्रति हैच⁸ प्रति शिफ्ट के लिए अधिकतम 12 श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। इससे पता चलता है कि कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए प्रति गैंग प्रति शिफ्ट में कम से कम 15 अं.श्र.ब. कार्यकर्ताओं (27-12 सदस्य) की अतिरिक्त तैनाती की गई थी।

फोटो-1



फोटो-2



जहाज के साथ लगाई गई, क्रैन की सहायता से कंटेनर में लदान

8 हैच: कार्गो को रखने के लिए वाटर टाइट कवर के साथ जहाज के डेक में फीट करना

इस प्रकार, 12 सदस्यों के स्थान पर 27 सदस्यों की तैनाती तथा कंटेनरीकृत कार्गो की शुरूआत पर श्रमिक परिणाम तथा स्वीकृत तथ्यों के गैर-संशोधन के कारण, 2011-14 के लिए प्रोत्साहन भुगतान के प्रति प.प्र.बो. द्वारा ₹1.80 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया था। **(अनुबंध-II)**।

कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती पर अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प.प्र.बो. ने बताया कि 6-12 श्रमिकों की जगह पर 27 सदस्य तैनात किए गए थे, क्योंकि श्रमिक यूनियन, गैंग की संख्या को कम करने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।

अनुशंसा: प.प्र.बो. को विभिन्न प्रकार के कार्गो के लिए पत्तन श्रमिकों को प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए श्रमिक परिणाम तथा स्वीकृत तथ्यों के मानदंडों को फिर से देखना चाहिए तथा कंटेनरीकृत कार्गो के लिए श्रमिक परिणाम तथा स्वीकृत तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए।

प.प्र.बो. ने अभ्युक्ति एवं अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)।

2.1.5.3 ₹1.83 करोड़ की राशि के अतिरिक्त वेतनों का परिहार्य भुगतान

अं.श्र.ब. के श्रमिक जहाज से तट तथा तट से जहाज तक कार्गो हैंडल करते हैं। प.प्र.बो. के तट मजदूरों को तट तथा गोदामों के बीच सरकार के स्वामित्व वाले जहाजों के बीच कार्गो को हैंडल करने के लिए तैनात किया गया था।

जून 1985 से, नवम्बर 1975 में अं.श्र.ब. के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना को तटीय मजदूरों तक पहुंचाया गया था। प्रोत्साहन योजना के अनुसार, श्रमिक रविवार तथा अन्य औद्योगिक अवकाशों पर उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन के पात्र थे। हालांकि, अभिलेखों से पता चला कि अं.श्र.ब. के अंतर्गत सभी श्रमिकों तथा सभी तटीय मजदूरों को प्रत्येक वर्ष सभी रविवारों तथा औद्योगिक अवकाशों के लिए अतिरिक्त वेतनों का भुगतान किया गया था। यह उनके द्वारा हैंडल किए गए कार्गो से निरपेक्ष था। 2011-14 की अवधि के दौरान रविवारों एवं अवकाशों के 190 दिनों में से पोर्ट ब्लेयर में जहाज केवल 91 दिनों के लिए रुके थे तथा कार्गो को 3352 श्रमिक शिफ्टों में हैंडल किया गया था। हालांकि, संवीक्षा से पता चला कि 8416 श्रमिक शिफ्टों के प्रति ₹2.64 करोड़ की राशि का भुगतान संपूर्ण 190 दिनों के लिए किया गया था जिसके कारणवश उनके द्वारा बिना काम करे ही ऐसे 99 रविवारों तथा अवकाशों के लिए ₹1.58 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। **(अनुबंध-III)**। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान 784 तटीय मजदूरों के प्रति ₹ 0.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। **(अनुबंध-IV)**

प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा उन रविवारों तथा अवकाशों की अतिरिक्त वेतनों को बंद करने के लिए आदेश जारी किया जिसमें पत्तन में जहाज रुका नहीं था।

2.1.5.4 रविवार एवं अवकाश पर प्रोत्साहन राशि का अतिरिक्त भुगतान

प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी वर्कशीट की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि प्रत्येक मजदूर के लिए प्रोत्साहन राशि की गणना करते समय प्रति गैंग प्रति पारी के लिए निर्धारित मानदण्ड के विरुद्ध उठाये अतिरिक्त भार⁹ को यथानुपात मजदूरी प्रति मी.ट. से गुणा कर निकाला जाता था। रविवार एवं अवकाश के मामले में मजदूरों एवं तटीय मजदूरों को उनके सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त यथानुपाती दर से दुगुनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी। वर्ष 2011-14 की अवधि में इस मद पर मजदूरों एवं तटीय मजदूरों को क्रमशः ₹98.10 लाख तथा ₹17.38 लाख का अतिरिक्त भुगतान (अनुबंध-V) किया गया था।

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (मई 2015) तथा कहा कि वसूली प्रतीक्षित थी।

2.1.5.5 अपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर ₹1.47 करोड़ का निष्फल व्यय

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह जलीय जैविक विविधता के लिए विख्यात है। पोर्ट संचालन से वातावरण प्रभावित होने की संभावना रहती है। हदों में बर्थ संख्या 3 तथा 4 के निर्माण की स्वीकृति दिए जाते समय (मार्च 1992) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प.व.मं.) ने कुछ पर्यावरण सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया था। परिणामस्वरूप, पी.एम.बी. ने नवी पंचवर्षीय परियोजना में एक बंदरगाह संरक्षक एवं प्रदूषण नियंत्रण योजना को शामिल किया था जिसमें दो बड़े घटक यथा एक स्टील डम्प सलेज¹⁰ बार्ज का निर्माण जिसमें पोतों से निकलने वाली बिल्ज¹¹ का एकत्रीकरण तथा स्किमर्स¹² के माध्यम से तेल निकालने एवं तेल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन संयंत्र का निर्माण करना शामिल थे।

सलेज बार्ज को पी.एम.बी. द्वारा अधिप्राप्त किया जाना था तथा ए.एल.एच. डब्ल्यू द्वारा बार्ज पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण को स्थापित किया जाना था तथा एक इनसिनेरेटर¹³ रोड का निर्माण तट (हदो ह्वार्फ) पर किया जाना था। पी.एम.बी. ने एक 100 टन सलेज बार्ज को ₹50 लाख की कीमत पर अधिप्राप्त किया (2003) जिसको ए.एल.एच.डब्ल्यू को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना हेतु सौंप दिया था। ए.एल.एच.डब्ल्यू ने ₹91.92 लाख की लागत से सलेज बार्ज तथा हदों पर इनसिनेरेटर रोड का कार्य पूर्ण किया (मार्च 2007) तथा इन दोनों को पी.एम.बी. को अगस्त 2009 में सौंपा गया था। तत्पश्चात सलेज बार्ज के अनुरक्षण एवं सर्वे पर पी.एम.बी. द्वारा ₹4.98 लाख का व्यय किया गया था। तथापि, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण को मानव शक्ति की संस्वीकृत अनुपलब्धता के कारण मई 2015 तक प्रयोग में नहीं लाया जा सका था। 'सागर शुचि' बार्ज खुले में खराब मौसम के प्रभाव से जंग लगने

9 वेतन में मूलवेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता और अंडमान विशेष प्रतिपूरक भत्ता

10 सलेज- अपशिष्ट पदार्थ अथवा सीवेज आदि

11 बिल्ज : पोत के तल में एकत्र होने वाला दुर्गंधयुक्त काला पानी

12 ऑयल स्किमर्स : द्रव्य की सतह पर तैरता तेल को हटाने वाला उपकरण

13 इनसिनेरेटर : अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया जो कार्बनिक पदार्थों जिसमें अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं की दहन प्रक्रिया शामिल होती है।

के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तथ्यों एवं आंकड़ों से सहमत होते हुए पी.एम. बी. ने बताया (जनवरी 2015) कि उपकरण उपयोग लायक नहीं था। इस प्रकार पी.एम.बी. द्वारा समय रहते प्रभावी कार्यवाही न किए जाने के कारण न केवल ₹1.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि प.व.मं. द्वारा निर्धारित पर्यावरण संरक्षण उपाय भी गैर-कार्यान्वित रहे।

पी.एम.बी. ने आगे बताया (मई 2015) कि पोत का उपयोग करने हेतु पोर्ट ब्लेयर में रिसाव की कोई घटना ही नहीं हुई। उत्तर से निष्फल व्यय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (मई 2015)।

फोटो-3



फोटो-4



प्रदूषण नियंत्रण उपकरण सागरशुचि की वर्तमान स्थिति

2.1.5.6 सी.एस.टी. के रूप में ₹10.54 लाख का अतिरिक्त भुगतान

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप में मूल्य संवर्धित कर (मूसं.क.) का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अन्य कर जैसे चुंगी, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.), फ्रेट, संघ क्षेत्र का स्टैम्प शुल्क तथा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सेवा कर लागू थे। के.बि.क. की दर 01 जून 2008 से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई थी।

पी.एम.बी. ने दो हीमैन हाई स्कैन एक्सरे बैगेजे जांच प्रणाली (एक्स. बी.आई.एस.) जुलाई 2012 में ₹1.13 करोड़ की कुल लागत पर खरीदा था। इस क्रय के लिए के.बि.क. की लागू दर दो प्रतिशत की बजाए 12.5 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹10.54 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा को स्वीकारते हुए (मई 2015) लेखापरीक्षा से अनुरोध किया कि उक्त मामले में के.बि.क. की दर का सत्यापन किया जाए। चूंकि के.बि.क. की दर दो प्रतिशत थी, अतः संबंधित आपूर्तिकर्ता से पी.एम.बी. द्वारा अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जानी आवश्यक है।

2.1.6 राजस्व प्रबंधन

पी.एम.बी. बंदरगाह उपयोक्ताओं से अपनी सेवाओं तथा सुविधाओं के उपयोग के बदले वेसेल रिलेटेड चार्जेज (वी.आर.सी.)¹⁴, कार्गो रिलेटेड चार्जेज (सी.आर.सी.)¹⁵ तथा संपदा किराये की वसूली करता है।


2.1.6.1 वी.आर.सी./सी.आर.सी. की प्राप्ति में विलम्ब

भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की धारा 43 निर्धारित करती है कि पत्तन में आए किसी भी पोत की निकासी तब तक अनुमेय नहीं होगी जब तक पोत के मालिक/अधिकारी द्वारा पत्तन की सारी देयताएं पूरी चुकाई न जाएं। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में पी.एम.बी. द्वारा बिना पत्तन की सारी देयताओं को पूर्ण करे ही पोत की निकासी की अनुमति दे दी थी। लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि पोतों के चले जाने के बाद की तिथि से औसतन दो से चार सप्ताह पश्चात बिल तैयार किये जाते थे तथा इनका भुगतान औसतन एक से डेढ़ महीने बाद किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप और अधिक देर होती थी। 2011-12 से 2013-14 की अवधि में वी.आर.सी. एवं सी.आर.सी. की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

¹⁴ वी.आर.सी. के अन्तर्गत पोर्ट बकाया, पाइलटेज प्रभार, टग प्रभार, बर्थ किराया प्रभार, लंगर प्रभार, स्थानांतरण प्रभार, रात्रि नेवीगेशन प्रभार, जल प्रभार तथा बोट के लिए लंगर प्रभार आदि।


¹⁵ सी.आर.सी. के अंतर्गत घाट प्रभार, तटीय गैंग प्रभार, कार्गो हैंडलिंग उपकरण प्रभार, कंटेनर हैंडलिंग एवं भंडारण प्रभार, लाइसेंस शुल्क, बंकरिंग प्रभार, टोल कर, तुलाई एवं छुट्टियाँ प्रभार, आदि शामिल है।

चार्ट-6



वी. आर.सी. की स्थिति

चार्ट-7



सी.आर.सी. की स्थिति (आने वाले कार्गो हेतु कोई राशि बकाया नहीं थी।)

चार्ट केवल तीन वर्षों की बकाया राशि को दर्शाता है, जबकि 31 मार्च 2014 को पो.स. प्र. तथा का.सा.प्र. का कुल बकाया क्रमशः ₹106.54 करोड़ एवं ₹13.45 करोड़ था, प्रमुख चूककर्ता डी.एस.एस., एस.सी.आई, सी.सी.एस.¹⁶ और अन्य सरकारी विभाग थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पी.एम.बी. ने चूककर्ताओं पर जुर्माना नहीं लगाया था क्योंकि प्रभारों को लगाने के लिए पो.प.मं. द्वारा जारी अधिसूचना में ऐसा प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था।

उत्तर में पी.एम.बी. ने बताया कि बिलों को प्रस्तुत करने तथा भुगतानों को प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। पो.सं.का. से संबंधित वाउचरों की प्रोसेसिंग पोत के प्रस्थान के पश्चात ही आरंभ होती थी क्योंकि पी.एम.बी. को पायलट अधिकारी से आवश्यक सूचना प्राप्त करनी होती है जिसमें कम से कम एक हफ्ते का समय लगता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारतीय पत्तन अधिनियमों, 1908 के अंतर्गत पो.प.मं. द्वारा अधिसूचित रूप में पो.सं.प्र. को प्रस्तुत किया जाना था तथा कथित अधिनियम की धारा 43 प्रस्थान से पूर्व सभी पत्तन बकाया राशियों की वसूली निर्धारित करता है। पी.एम.बी. ने सा.प्र. पर अभ्युक्तियों को यह बताते हुए स्वीकार किया (जनवरी 2015) कि बिल बनाने में विलंब हुआ था क्योंकि बिलिंग की प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत नहीं थी।

¹⁶ उपभोक्ता सह-सहकारी समितियां

अनुशंसा: भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में निर्धारित रूप से पी.एम.बी. को पत्तनों से पोतों के प्रस्थान से पूर्व पो.सं.का./का.सं.का. की वसूली तथा दावों को प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुशंसा को स्वीकार करते हुए, यह बताया गया कि मई 2015 की संशोधित ड्राफ्ट अधिसूचना में जुर्माना/ब्याज को लगाए जाने के लिए प्रावधान किया गया था।

2.1.6.2 पत्तन उपयोगकर्ताओं को अनुचित लाभ

अप्रैल 2008 से, प्रतिभूति जमा (लेनदेन की संख्या के आधार पर निर्धारित) को पी.एस.बी. द्वारा प्राप्त किया जाता था। सावधि जमा दरों (सा.ज.द.) वाली केवल उन्हीं पोत परिवहन कम्पनियों को पत्तन बकाया दिए बिना अपने पोत को चलाने की अनुमति थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि सभी निजी उपयोगकर्ताओं तथा मुख्य चूककर्ताओं अर्थात् पो.प.से. नि., एस.सी.आई., आदि से प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की गई थी। यह भी पाया कि पुनरावृत्त चूककर्ताओं से कोई प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की गई थी तथा ऐसे मामले भी पाए गए थे जहाँ बकाया राशि प्राप्त प्रतिभूति राशि से अधिक थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	शिपिंग कम्पनी का नाम	बकाया अवधि	राशि (₹) (पो.सं.प्र.)	अधिकतम लंबिता	प्रतिभूति जमा (₹)
1.	मैसर्स मीनाक्षी शिपिंग	अप्रैल-09 से लेकर मार्च-14 से पूर्व	16,36,224	6 वर्ष	कोई सुरक्षा नहीं
2.	मैसर्स गति शिपिंग	अक्तूबर-13 से नवम्बर-13	404240	1वर्ष	5,00,000
3.	मैसर्स मैरिन एन केयर	जनवरी-09 से लेकर नवम्बर -13 से पूर्व	448384	6 वर्ष	कोई सुरक्षा नहीं
4.	मैसर्स आयशा शिपिंग	मई-11 से फरवरी-14	257557	3.5 वर्ष	कोई सुरक्षा नहीं
5.	मैसर्स जेडवेट शिपिंग सेवाएं	अक्तूबर.12 से मार्च-13	114170	2 वर्ष	1,42,583
6.	मैसर्स कैप्टन बाथ	अप्रैल-09 से मार्च-14 से पूर्व	382143	6 वर्षों से अधिक	कोई सुरक्षा नहीं
कुल			32,42,718		

पी.एम.बी. द्वारा अनुस्मारक जारी करने के अलावा कोई प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि उसके पास कोई कानूनी शक्तियां नहीं थीं जिसके कारण विशाल संचय हुआ था।

अनुशंसा: दोषी जहाज मालिकों के पोतों को ए.एन.आई. के पत्तनों के भीतर चलाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी पत्तन उपयोगकर्ताओं से प्राप्त लेनदेनों की संख्या प्रतिभूति जमा के अनुरूप होनी चाहिए।

पी.एम.बी. ने अभ्युक्ति एवं अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)।

2.1.6.3 बकाया गैंग प्रभार

बकाया गैंग प्रभारों के रूप में ₹7.15 करोड़ की राशि फरवरी 2015 तक एस.सी.आई. एवं पो.प.से.नि. से लंबित थी जोकि क्रमशः 1989 एवं 1990 से लंबित थी (2011-14 से संबंधित

₹1.01 करोड़)। अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि हेतु गैंग प्रभारों को एक वर्ष¹⁷ के औसतन विलंब के पश्चात् नियंत्रक, ए.एल.एफ. द्वारा वरीय माने गए थे। पो.प.से.नि. तथा एस.सी.आई. के प्रति बकाया राशि को दर्शाने वाली कोई सूची अनुरक्षित नहीं की गई थी तथा उनकी वसूली हेतु कोई अनुस्मारक जारी नहीं किए गए थे। गैंग प्रभारों को प्रस्तुत एवं वसूली करने में सी.ए.एल.एफ./पी.एम.बी. के निरुत्साही दृष्टिकोण के कारण इसका अधिक संचय हुआ था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए यह बताया गया था कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹7.15 करोड़ समेत गैंग प्रभारों के प्रति सभी बिलों को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। वसूली प्रतीक्षित थी।

2.1.6.4 पो.सं.प्र. की दरों में संशोधन न किए जाने के कारण ₹11.81 करोड़ के राजस्व की हानि

प्रायः पत्तन 3–5 वर्षों¹⁸ के अंतराल पर पो.सं.प्र. तथा का.सं.प्र. को संशोधित करते हैं। पी.एम.बी. की संशोधन हेतु ऐसी कोई आवधिकता नहीं थी। इसके अलावा, पी.एम.बी. अपने द्वारा प्रदत्त पत्तन सेवाओं के लिए प्रभारों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। प्रक्रिया में हितधारकों के साथ चर्चा करके प्रभारों को निर्धारित करने के लिए पी.एम.बी. द्वारा प्रस्ताव की शुरुआत करना शामिल था। बोर्ड से संस्वीकृति के पश्चात्, प्रस्ताव को वेटिंग/संस्वीकृति हेतु प्रशासन को प्रेषित किया जाना था, तथा उसके बाद अंतिम स्वीकृति तथा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना दिए जाने के लिए पो.प.से.नि. को संचरण किया जाएगा।

1998 में टैरिफ के प्रारंभिक निर्धारण की तिथि से 14 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् भी 2011–12 तक पी.एम.बी. द्वारा पो.सं.प्र. के संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई थी। पो.सं.प्र. में 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव जुलाई 2011 की बोर्ड की बैठक में स्वीकृत किया गया था, तथा प्रशासन की स्वीकृति पर प्रस्ताव को पो.प.मं. के पास भेज दिया गया था। पो.प.मं. ने बताया (मई 2013) कि या तो प्र.प.द.सू.प्रा.¹⁹ के आधार पर व्यापक प्रस्ताव या किसी अन्य उपयुक्त तंत्र को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा। ऐसा नहीं किया गया था तथा प.सं.प्र. हेतु दरों को अभी तक संस्वीकृत (फरवरी 2015) नहीं किया गया था।

पी.एम.बी. ने 1998 में निर्धारित दर सूची के अनुसार प.सं.प्र. के कारण 2011–14 के दौरान ₹47.23 करोड़ की राशि के बिल प्रस्तुत किए गए थे तथा यदि 25 प्रतिशत की वृद्धि को समय पर कार्यान्वित कर दिया होता तो उसके बाद की अवधि के दौरान पी.एम.बी. अतिरिक्त ₹11.81 करोड़ (₹47.23 करोड़ का 25 प्रतिशत) की राशि अर्जित कर लेता।

¹⁷ एक से लेकर 29 महीनों तक

¹⁸ मॉरमुगाओ पत्तन न्यास अपनी दरें तीन वर्षों में संशोधित करता है तथा न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास अपनी दरें पाँच वर्षों के बाद संशोधित करता है।

¹⁹ प्रमुख पत्तनों हेतु दर सूची प्राधिकरण

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मई 2015) और बताया कि मार्च 2015 में उनके बोर्ड ने 1998 से आज तक एक प्रतिशत और उसके पश्चात दो प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ प.सं.प्र. को संशोधित करने का निर्णय लिया था।

अनुशंसा: पी.एम.बी. को विभिन्न पत्तन सेवाओं के लिए प्रभारों के आवधिक संशोधन हेतु नियम बनाने चाहिए तथा भारत के अन्य पत्तनों के अनुसार राजस्व में वृद्धि तथा तीव्र वसूली हेतु उचित तंत्र अपनाना चाहिए।

पी.एम.बी. ने अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)।

2.1.6.5 का.सं.प्र. हेतु टैरिफ का गैर-कार्यान्वयन

टैरिफ समेत का.सं.प्र.²⁰ हेतु नियमावली सबसे पहले अप्रैल 1992 में प्रकाशित हुई थी तथा पो.प.मं. की अधिसूचना के अनुसार 2004²¹ में 12 वर्षों के पश्चात इसमें संशोधन किए गए थे। इस प्रार्थना पर कि सुनामी के पश्चात् राहत एवं पुर्नवास निर्माण कार्य कार्याधीन थे, प्रशासन ने मंत्रालय से मार्च 2006 तक संशोधित का.सा.प्र. के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निवेदन किया था। तदनुसार, मंत्रालय ने अपने कार्यान्वयन को जून 2006 तक स्थगित कर दिया था। उसके पश्चात् अण्डमान वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर ने का.सं.प्र. की संशोधित दरों में एकाएक वृद्धि के प्रति पो.प.मं. के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया। उसके पश्चात्, मंत्रालय ने निर्देश दिया (दिसम्बर 2006) कि 2004 अधिसूचना के कार्यान्वयन को आगे की अधिसूचना तक निलम्बन में रखा जाना चाहिए। आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यदि 2004 अधिसूचना को कार्यान्वित किया जाता तो पी.एम.बी. अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान ₹12.44 करोड़ अर्जित कर सकता था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

मदों का नाम	अर्जित नहीं किया गया राजस्व (₹ करोड़ में)
स्थान का अवंटन (लाइसेंस शुल्क)	0.49
यात्री पथकर	1.82
कंटेनर हैंडलिंग प्रभार	2.93
निजी जहाज कुलियों को लाइसेंस जारी करना (लाइसेंस/नवीकरण शुल्क)	0.20
घाट/जेटी जहाज कुली प्रभार (अं.श्र.ब. स्टाफ)	1.64
पत्तन उपकरण प्रभार	1.66
घाट-भाड़ा प्रभार	2.69
भंडारण एवं विलम्ब शुल्क प्रभार	1.01
कुल	12.44

²⁰ लैडिंग स्थानों, घाटों, बांधों, गोदामों, शेडों तथा अन्य विविध सेवाओं के उपयोग हेतु नियम का निर्धारण

²¹ दिनांक 3.12.2004 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 786(ई)

पी.एम.बी. ने बताया कि दिसम्बर 2004 में जारी की गई अधिसूचना को निलम्बित रखा गया था। यह कानून एवं न्याय मंत्रालय के विचार के उल्लंघन में था जिसमें वर्गीकृत रूप से समझाया गया (जून 2008) था कि 2004 अधिसूचना की दरों को निलम्बित रखा जाना वैध नहीं था तथा इसलिए 2004 अधिसूचना की दरें लागू होती थीं।

हालांकि, तथ्य था कि का.सं.प्र. अप्रैल 1992 में अधिसूचित दरों के अनुसार प्रभारित किया जा रहा था।

अनुशंसा: सरकार को आगे हानि से बचाने के लिए किसी वैधानिक रूप से मान्य संशोधन या दिसम्बर 2004 में संशोधित दरों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)।

2.1.6.6 ₹2.74 करोड़ के जहाज कुली हैंडलिंग प्रभारों की वसूली न किया जाना

निजी जहाजों द्वारा लाए गए कार्गो को संभालने के लिए अक्टूबर 1993 में निजी जहाज कुलियों को लाया गया था। नवम्बर 1996 में, प्रशासन ने जहाज कुली हैंडलिंग प्रभार²² की दरें निर्धारित की थी जिसे अ.नि.द्वी.स. के पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग हेतु लाइसेंसयुक्त निजी जहाज कुलियों से वसूल किया जाना था।

पी.एम.बी. ने निजी जहाज कुलियों के साथ अनुबंध किए तथा अ.नि.द्वी.स. के पत्तनों पर निजी जहाज वालों के कार्गो को संभालने के लिए लाइसेंस जारी किए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अनुबंधों में निर्धारित रूप से 'जहाज कुली हैंडलिंग प्रभार' की वसूली नहीं की गई थी। यद्यपि, प्रतिवेदन के अंतर्गत अवधि 2011-14 है, यह बताना आवश्यक है कि पी.एम.बी. नवम्बर 1996 से लेकर मार्च 2008 तक ₹1.93 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा था (अनुबंध -VI)। कथित प्रभारों की वसूली केवल अप्रैल 2008 से शुरू हुई थी परंतु अप्रैल 2008 से मार्च 2014 तक ₹81.06 लाख की कम वसूली हुई थी (अनुबंध -VII)। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण हुआ था कि लाइसेंस धारक ने मासिक हैंडलिंग कार्गो तथा उनके द्वारा संबंधित पत्तनों के पत्तन प्रभारों के लिए तैनात किए गए समूहों की संख्या को सूचित नहीं किया था जबकि ऐसा करना अनुबंध में निर्धारित था। लाइसेंसधारक द्वारा कुल हैंडलिंग कार्गो के संदर्भ में अ.नि.द्वी.स. के किसी पत्तन में वसूले जाने वाली राशि तथा वास्तव में वसूली गई राशि के मिलान के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी बताया कि जहाज कुली हैंडलिंग प्रभारों के बिलों की जांच तीन अलग स्रोतों द्वारा की जा रही थी ताकि भविष्य में कम वसूली से बचा जा सके। परंतु, तथ्य यह था कि ₹2.74 करोड़ की राशि के जहाज कुली हैंडलिंग प्रभार मई 2015 तक वसूल नहीं किए गए थे।

²² जहाज कुली हैंडलिंग प्रभारों को निजी जहाज कुली द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर लगाया जाता है।

2.1.6.7 ₹1.21 करोड़ के राजस्व को जमा कराने में विलम्ब

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली का नियम 6 प्रावधान करता है कि राजस्व या प्राप्ति या सरकारी बकाया के रूप में सरकारी कार्यालयों द्वारा प्राप्त अथवा को प्रदान किए गए सभी धनों का, बिना अनुचित विलम्ब के, सरकारी लेखे में शामिल किए जाने हेतु प्राधिकृत बैंक में पूरा भुगतान किया जाएगा।

भारत सरकार 01 जून 2010 को पोर्ट ब्लेयर में अपने मुख्यालय सहित मुख्य पत्तन के रूप में अ.नि.द्वी. में पत्तन की स्थापना करने की घोषणा की थी तथा इसे पोर्ट ब्लेयर पत्तन न्यास (पो.ब्लै.प.न्या.) का नाम दिया था। पो.ब्लै.प.न्या. की घोषणा के पश्चात न तो मंत्रालय और न ही प्रशासन द्वारा पत्तन को कोई निधियां प्रदान की गई थीं। प.प्र.बो. तथा ए.एल.एफ. का पूरा व्यय 13 सितंबर 2010 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक चालू खाता खोलकर पहले के पत्तन द्वारा उत्पन्न राजस्व से पूरा किया गया था। तथापि, 01 जून 2010 की अधिसूचना को पो.प.मं. द्वारा अस्थगित रखा गया था तथा जून 2010 से पहले की यथास्थिति का फरवरी, 2011 के बाद से अनुरक्षण किया गया था। फरवरी, 2011 से प.प्र.बो. योजनागत तथा गैर-योजनागत शीर्षों के अंतर्गत वार्षिक बजट के माध्यम से प्रशासन से नियमित निधि प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार, भुगतानों एवं प्राप्तियों के नियम 6 के अनुसार फरवरी, 2011 को ₹1.21 करोड़ का शेष उपरोक्त चालू खाते में पड़ा है जिसे बिना विलम्ब के सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए था। तथापि, ₹1.21 करोड़ को 26 महीनों से अधिक के बीत जाने के पश्चात केवल 03 मई 2015 में जाकर ही सरकारी खाते में जमा करवाया गया था। इसका परिणाम चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर परिकलित ब्याज के माध्यम से सरकार को ₹10.48 लाख की हानि के रूप में हुआ।

प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मई 2015)।

2.1.6.8 भूमि/पत्तन क्षेत्र स्थान का आवंटन

प.प्र.बो. के पास उपलब्ध भूमि का सरकारी विभागों तथा निजी दलों को आवंटन किया गया था। आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किए गए थे। पत्तन उपभोक्ताओं से लिखित अनुरोधों पर प.प्र.बो. द्वारा तीन महीनों की अवधि हेतु अस्थायी रूप से खुले/ढके हुए स्थानों के उपयोग की आवश्यक अनुमति प्रदान की गई थी। निजी दलों को आगे के तीन महीनों हेतु बार-बार विस्तार प्रदान किए गए थे। जबकि सरकारी विभागों ए.एन.आई. आई.डी.सी.ओ., मैसर्स सी.सी.एस.लि. को निरंतर अथवा उस समय तक जब तक वह स्वयं स्थानों को खाली न कर दे, स्थानों को अधिकृत करने को अनुमत किया गया था। अन्य पतनों के विपरीत प.प्र.बो. की कोई भूमि प्रबंधन नीति नहीं है जो भूमि के गैर-सीमांकन के कारण थी। यह बताया गया कि प.प्र.बो. से संबंधित क्षेत्रों, जिसे पत्तन उपयोगकर्ताओं को पट्टे पर दिया जा सकता था, की अभी भी पहचान नहीं की गई थी।

चूंकि प.प्र.बो. के पास भूमि आवंटन नीति तथा वैधिक शक्तियां नहीं थी इसलिए वह लागू लाईसेंस शुल्क वसूलने में विफल रहा।

अनुशंसा: प.प्र.बो. के हित की सुरक्षा तथा राजस्व के सर्वर्धन हेतु जल्द से जल्द भूमि नीति तैयार की जानी चाहिए।

प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने भूमि के सीमांकन हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है तथा मामले को संबंधित जिला आयुक्त के साथ उठाया गया है।

2.1.7 आंतरिक नियंत्रण

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, विधियों, नियमों, विनियमों तथा आदेशों की अनुपालना का उचित आश्वासन तथा धोखे तथा कुप्रबंधन से सुरक्षाएं प्रदान करनी चाहिए तथा इसे उच्च प्राधिकारियों को विश्वसनीय वित्तीय तथा प्रबंधन सूचना सुनिश्चित करना चाहिए। नियंत्रण कार्यों में, प्रलेखन, भुगतानों का प्राधिकरण तथा स्वीकृति, कर्तव्यों का वियोजन, समाधन एवं सत्यापन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा, संचालन निष्पादन की समीक्षा तथा मॉनीटरिंग शामिल हैं।

यद्यपि, प.प्र.बो. के बोर्ड का 1983 में गठन तथा 2000 में पुनर्गठन किया गया था फिर भी बोर्ड की शक्ति तथा उत्तरदायित्व के संबंध में कोई नियम एवं विनियम तैयार अथवा निर्धारित नहीं किए गए थे। आयोजित की जाने वाली आवधिक बैठकों की अनुसूचि नहीं बनाई गई थी। 2011-14 के दौरान, बोर्ड ने जुलाई 2011 तथा फरवरी 2012 में दो बार बैठक की थी। बोर्ड ने प.प्र.बो. द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के सुधार हेतु किसी समिति/उप-समिति का कभी गठन नहीं किया था। अपनी वर्तमान स्थिति के कारण प.प्र.बो. अपने संचालन हेतु तथा राजस्व सृजन के लिए नियमों/विनियमों/प्रभारों को तैयार नहीं कर सका था।

प.प्र.बो. में, यह सुनिश्चित करने हेतु की उपयुक्त जांच तथा नियंत्रणों का उपयोग किया गया था तथा चोरी, हानि, दुरुपयोग आदि से बचने हेतु उपयुक्त प्रणाली स्थापित थी, कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के अभाव में, प.प्र.बो. का बोर्ड अथवा प्रबंधन प.प्र.बो. के विभिन्न स्कंधों में कार्यों की स्थिति तथा जब कभी अपेक्षित हो शोधक उपाय करने की स्थिति में नहीं था।

अनुशंसा: प्रशासन द्वारा उपयुक्त विनियम, नियमावली तथा प्रक्रिया को तैयार किए जाने के माध्यम से प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।

प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा इसके अतिरिक्त अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015) तथा बताया कि प्रत्येक छः महीने में बोर्ड की बैठकें की जाएंगी।

2.1.8 निष्कर्ष:

प.प्र.बो. के उद्देश्यों ने अ.नि.द्वी. के पत्तनों पर पत्तन सुविधाओं के विस्तार, पोत परिवहन प्रबंधन तथा माल के भण्डारण के लिए तथा बन्दरगाहों के रखरखाव हेतु प्रभारों की वसूली तथा संग्रहण के प्रति नियमों एवं विनियमों के निरूपण को आवश्यक बनाया। तथापि, उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित शक्तियों से बोर्ड निहित नहीं था। प.प्र.बो. द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के सुचारु रूप में संचालन हेतु आवश्यक आवधिक नियमों एवं विनियमों को तैयार करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई थी। इस प्रकार, जलयान/ कार्गो संबंधित सेवाओं हेतु प्रभारों की वसूली तथा संग्रहण में कमियां थीं, कार्गो प्रबंधन हेतु कार्यबल को दक्षता से नियंत्रित नहीं किया गया था; राजस्व के संवर्धन हेतु कोई नीति नहीं थी और न ही भूमि प्रबंधन हेतु कोई नीति तैयार की गई थी। उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव ने प.प्र.बो. के कार्यों को और भी प्रभावित किया था। प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया। तथापि, अ.नि.द्वी. प्रशासन ने रिपोर्ट (मार्च 2015) दिए जाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी (जून 2015)। इसे गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया गया था (मार्च 2015)। उनका उत्तर भी जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर

2.2 एक परियोजना को प्रारम्भ करने में अनुचित विलम्ब


पोर्ट ब्लेयर में पेयजल के भारी संकट की जिसकी 2007 में कल्पना की गई थी, परियोजना के चरण-II हेतु निविदाओं के बार-बार रद्द के कारण इसे कम नहीं किया जा सका। 2011 में ₹13.75 करोड़ की लागत पर परियोजना के चरण-I तथा चरण-III में सृजित अवसरचना का वर्ष में एक या दो महीने के लिए अल्प रूप से उपयोग किया गया था।

पोर्ट ब्लेयर में पेयजल के भारी संकट को कम करने के लिए, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने जून 2007 में रूटलैंड द्वीप से पोर्ट ब्लेयर तक जल के परिवहन हेतु एक परियोजना संकल्पित की थी। अण्डमान लोक निर्माण विभाग (अ.लो.नि.वि.) ने तीन चरणों में परियोजना के निष्पादन हेतु एक प्रारम्भिक योजना तैयार की जिसमें निम्न शामिल था:

- i. रूटलैंड द्वीप में पाईपलाईनों का डाला जाना जो सभी नालों को वीयर/चैक डेमो की अपेक्षित संख्या से जोड़ेगी (चरण-I) ;
- ii. रूटलैंड द्वीप में आर.एम.स्थल से दक्षिण अण्डमान द्वीप (पोर्ट ब्लेयर) में पोंगी बालू तक समुद्री पाईपलाईनों का डाला जाना (चरण-II) तथा ;
- iii. पोंगी बालू (चिदयाटापू के पास) से धानीकारी बांध (दक्षिण अण्डमान द्वीप) तक पाईपलाईनों का डाला जाना (चरण-III)।

तीन चरणों के रेखाचित्री नक्शे को मानचित्र 'क' में भी दर्शाया गया है:

मानचित्र-2



रुटलैंड जल आपूर्ति परियोजना का रेखाचित्री नक्शा

तीन चरणों में परियोजना के निष्पादन को जुलाई 2007 में मुख्य सचिव तथा माननीय उप राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया गया था। परियोजना के चरण-I तथा चरण-III अ.लो.नि. वि. द्वारा निष्पादित किए जाने थे। चरण-II के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई (रा.म.प्रौ.सं.) से सिफारिश की गई थी। रा.म.प्रौ.सं. ने सितंबर 2007 में

₹13.89 करोड़ की अनुमानित लागत पर चरण-II के निष्पादन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। रा.म.प्रौ.सं. को जमा कार्य के रूप में परियोजना के चरण-II को सौंपे जाने हेतु आवश्यक स्वीकृति की अक्टूबर 2007 में गृह मंत्रालय (गृ.मं.) से माँग की गई थी। गृ.मं. ने बदले में नवम्बर 2007 में शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं.) से सिफारिश की थी।

श.वि.मं., गृ.मं. तथा प्रशासन के बीच कई पत्राचारों के पश्चात अंत में श.वि.मं. द्वारा अनुसूचित समय अवधि के भीतर समय समाप्त करने के तथा बिना समय/लागत वृद्धि के अनुबन्ध के साथ एक वर्ष से अधिक के पश्चात दिसंबर 2008 तथा जनवरी 2009 में क्रमशः तकनीकी संस्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप, गृ.मं. ने ₹13.89 करोड़ के कुल परिव्यय सहित रूटलैंड द्वीप से दक्षिण अण्डमान द्वीप तक समुद्री पाईपलाईनों को डाले जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। रा.म.प्रौ.सं. ने कार्य निष्पादन को अस्वीकार किया तथा अनुमानित लागत को ₹13.89 करोड़ से ₹18.89 करोड़ तक बढ़ाते हुए अनुमान दो वर्ष पुराना होने तथा पुल के ऊपर से पाईपलाईन डाले जाने के विकल्प को शामिल किए जाने, जो पिछले अनुमान में नहीं था, के कारण भी जुलाई 2009 में एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

रा.म.प्रौ.सं. के साथ विचार-विमर्शों के पश्चात प्रशासन ने तकनीकी सहायता हेतु रा.म.प्रौ.सं. की नियुक्ति के साथ निविदा आमंत्रित करने का निर्णय किया (नवम्बर 2010)। तथापि, प्रशासन ने तकनीकी परामर्श कार्य हेतु रा.म.प्रौ.सं. के साथ कोई करार नहीं किया। रु.अ.²³ दिसंबर 2010 में आमंत्रित की गई थीं परंतु उन्हें विज्ञापित रु.अ. में कुछ विशिष्ट नियमों एवं शर्तों की कमी के कारण निर्माणकार्य सलाहकार बोर्ड (नि.स.बो.) के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे प्रशासन के मुख्य सचिव के आदेश पर मार्च 2011 में रद्द कर दिया गया था। यह इस तथ्य के बावजूद किया गया कि रु.अ. का नि.स.बो. के तकनीकी कार्मिकों द्वारा उचित रूप से पुनर्निरीक्षण किया गया था तथा इसे विज्ञापित किए जाने से पूर्व मुख्य सचिव द्वारा अंततः अनुसमर्थित किया गया था। संशोधन के पश्चात, जून 2011 में फिर से रु.अ. आमंत्रित की गई थीं। बोलियों का अंतिम मूल्यांकन रा.म.प्रौ.सं. से एक विशेषज्ञ सदस्य की उपस्थिति में नि.स.बो. की बैठक (जनवरी 2012) में किया गया था। समय पर वार्षिक स्फीति दरों को लागू करके लागत के उपयुक्त औचित्य पर ₹28.50 करोड़ की न्यूनतम उद्धरित दर की स्वीकृति हेतु नि.स.बो. द्वारा सिफारिश की गई थी। फिर भी, रु.अ. को माननीय प्रशासक द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया (मई 2012) कि रा.म.प्रौ.सं. ने अव्यवसायिक ढंग से परियोजना का अनुमान लगाया था जबकि रा.म.प्रौ.सं. को उसकी तकनीकी जानकारी हेतु नियुक्त किया गया था। माननीय प्रशासक द्वारा निर्देशित किए जाने पर रु.अ. बूट²⁴ आधार पर आमंत्रित (मई 2012) की गई थी।

²³ रूचि की अभिव्यक्तियां

²⁴ निर्माण-स्वामित्व-संचालन-अंतरण

बातचीत (मई 2013) के पश्चात, न्यूनतम बोलीकर्ता ने 25 वर्षों की अवधि तक 6022.50 करोड़ लीटर जल के परिवहन हेतु 4.10 पैसे प्रति लीटर की दर से बोली लगाई। अ.लो. नि.वि. में 50 वर्षों की जीवन प्रत्याशा तथा बूट प्रणाली के 25 वर्षों के प्रचालन के पश्चात अ.लो.नि.वि. को परिसम्पत्तियों के अंतरण पर विचार करते हुए दर को तर्कसंगत पाया। प्रति लीटर परिवहन लागत को 2012 में जल नौकाओं²⁵ में रूटलैंड से पोंगी बालू तक जल के परिवहन हेतु किए गए 11.50 पैसे प्रति लीटर के व्यय से भी काफी कम पाया गया।

इस रु.अ. को भी रद्द कर दिया गया था। रद्दीकरण का कारण बूट आधार में निविदा के वित्तीय मूल्यांकन हेतु मानक पद्धति के अभाव को बताया गया। तथापि, संवीक्षा ने उजागर किया कि अ.लो.नि.वि. ने जी.बी. पंत अस्पताल में छूट आधार पर विलवणीकरण संयंत्र, जो दिसंबर 2007 से कार्य कर रहा था, हेतु एक निविदा को अंतिम रूप दिया था।

इस प्रकार, परियोजना के चरण-II कार्य को निविदाओं के बार-बार रद्दीकरण के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका। कार्य की अप्रैल 2015 तक पुनर्निविदा नहीं की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के चरण-I तथा चरण-III अ.लो.नि.वि. द्वारा ₹13.75 करोड़ की कुल लागत पर अक्टूबर 2011 में समाप्त किए गए थे। तथापि, इन पाईपलाइनों का जल के परिवहन हेतु इष्टतम रूप से उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि रूटलैंड द्वीप में आर.एम. स्थल तथा पोर्ट ब्लेयर में पोंगी बालू के बीच संयोजक समुद्री पाईपलाइनों को नहीं डाला गया था। अ.लो.नि.वि. ने ₹42.64 लाख तथा ₹92.50 लाख व्यय करने के पश्चात रूटलैंड द्वीप तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच जल नौकाओं का उपयोग करके क्रमशः मई 2013 में केवल 32300 मीट्रिक टन जल तथा मार्च-मई 2014 में 56400 मीट्रिक टन जल का परिवहन किया था। जल के परिवहन की लागत मई 2013 में 13.20 पैसे प्रति लीटर तथा मार्च-मई 2014 में 16.40 पैसे प्रति लीटर थी जो 4.10 पैसे प्रति लीटर से काफी अधिक थी जिसे बूट पद्धति के अंतर्गत मई 2013 में न्यूनतम बोलीकर्ता द्वारा मान लिया गया था। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा जल की अपनी मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली से दूसरे दिन केवल आधे घण्टे के लिए पोर्ट ब्लेयर के आवासियों को आपूर्ति भी की जा रही थी।

इस प्रकार, पोर्ट ब्लेयर में चरण-II हेतु निविदाओं के बार-बार रद्द की वजह से परियोजना के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण पेयजल के भारी संकट को कम नहीं किया गया था। 2011 में ₹13.75 करोड़ की लागत पर परियोजना के चरण-I तथा चरण-III में सृजित अवसंरचना का वर्ष में एक या दो महीनों में न्यूनतम उपयोग किया गया था।

अ.लो.नि.वि. ने अप्रैल 2015 में पैरा में उल्लिखित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की थी।

मामला फरवरी 2015 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतिक्षित था।

²⁵ एक लंबी सपाट तल वाली नौका

जिला परिषद, दक्षिण अंडमान, पोर्ट ब्लेयर

2.3 निष्फल व्यय

अक्टूबर 2004 में निर्माण हेतु संस्वीकृत दाहगृह को एक ही प्रशासन के दो विभागों में समन्वय की कमी तथा जिला परिषद के निरुत्साही दृष्टिकोण के कारण दस वर्षों से अधिक के विलंब के बाद भी परिचालनात्मक नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹73.95 लाख का निष्फल व्यय हुआ था।

जिला परिषद, दक्षिण अण्डमान (जि.प.) ने गाराचरमा में एल.पी.जी.²⁶ वाले दाहगृह के निर्माण हेतु प्रस्ताव को संस्वीकृत किया था (अक्टूबर 2004)। तदनुसार, अध्यक्ष, जि.पं. ने अक्टूबर 2006 में ₹55.60 लाख की लागत पर एल.पी.जी. वाले शमशान के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमति तथा व्यय संस्वीकृति दी थी।

शमशान के निर्माण का कार्य अप्रैल 2008 में पूरा करने की निर्धारित तिथि के साथ अप्रैल 2007 में एक फर्म को दिया गया था। फर्म ने शमशान का निर्माण कार्य सितम्बर 2010 में किया था तथा उसे अक्टूबर 2014 तक ₹72.89 लाख का भुगतान किया गया था।

अभिलेख से प्रकट हुआ कि यद्यपि शमशान एल.पी.जी. वाला था, नियंत्रण पैनल, तापमान नियंत्रण प्रणाली, वैचुरी प्रणाली के साथ धौकनी आदि जैसे विभिन्न विद्युत घटकों के परिचालन हेतु तीन चरण के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी। इसलिए, शमशान के पूरा होने के पश्चात् ग्राम पंचायत (गाराचरमा-II) ने विद्युत विभाग (वि.वि.), अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन से शमशान भवन को तीन चरण के विद्युत कनेक्शन को प्रदान करने के लिए निवेदन किया (सितम्बर 2010) तथा इसका अनुसरण जि.पं. द्वारा जनवरी 2011 में किया गया था। चूंकि वि.वि. द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी, जि.पं. ने अपने पूर्व निवेदन के 18 माह पश्चात् फिर से वि.वि. से शीघ्रतिशीघ्र विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए कहा था (जुलाई 2012)। शमशान वि.वि. के प्रोथरापुर उप-प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में स्थित था। सितम्बर 2012 में प्रोथरापुर उप-प्रभाग ने उप-प्रभाग की सूचना के अंतर्गत अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय), वि.वि. के पक्ष में राशि को जमा करने का निवेदन करते हुए ₹1.06 लाख की माँग रखी थी। जनवरी 2013 में अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) के पास राशि जमा करवाते समय जि.पं. बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के लिए संबंधित उप-प्रभाग को सूचित करने में विफल रहा। जि.पं. ने मामले का अनुसरण अगले 15 महीनों तक नहीं किया तथा केवल मई 2014 में वि.वि. को केवल अनुस्मारक भेजा था।

जि.पं. द्वारा किए गए भुगतान से अनभिज्ञ, प्रोथरापुर उप-प्रभाग ने जि.प. को फिर से राशि जमा करने के लिए कहा (मई 2014)। परिणामस्वरूप, जि.पं. ने प्रोथरापुर उप-प्रभाग को सूचित करते हुए अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय), वि.वि. के समक्ष मुद्दा उठाया। तथापि,

²⁶ लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस

अधिकासी अभियंता (मुख्यालय), वि.वि. से प्रोधापुर उप-प्रभाग द्वारा भुगतान के विवरण अक्टूबर 2014 से ही प्राप्त किए गए थे। तीन चरण का कनेक्शन जनवरी 2015 में शमशान भवन को प्रदान कर दिया गया था परंतु वि.वि. द्वारा यह पाया गया था कि दाहगृह भवन में आवश्यक वायरिंग नहीं की गई थी। वि.वि. ने जि.पं. से कनेक्शन हेतु अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का निवेदन किया था (मार्च 2015) जो प्रस्तुत नहीं किया गया था (मई 2015)।

अक्टूबर 2004 में निर्माण हेतु स्वीकृत दाहगृह कुछ छोटे मुद्दों का निपटान न किए जाने के कारण ₹73.95 लाख का व्यय करने के बावजूद भी दस वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी चालू नहीं हुआ था। यह जिला परिषद की ओर से निष्क्रियता तथा एक ही प्रशासन के दो विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण था जिसका परिणाम निष्फल व्यय के रूप में हुआ। यह प्रशासन द्वारा मॉनीटरिंग की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करता है।

मामले को नवम्बर 2014 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतिक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली, ग्रामीण विकास विभाग

2.4 ₹317.03 लाख का व्यर्थ व्यय

लो.नि.वि. विभाग, ने संघ शासित क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली, ने पाईप लाईन नेटवर्क में पाईपों की उन विशिष्टताओं का पालन नहीं किया था, जिसकी बैपकोस, एक सलाहकार, द्वारा सिफारिश की गई थी, जिसका परिणाम ₹317.03 लाख के व्यर्थ व्यय में हुआ।

लोक निर्माण विभाग, संघ शासित क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली की जिला पंचायत ने मैसर्स वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसेस (इण्डिया), लि. (वैपकोस) को मंडोनी में जल आपूर्ति हेतु विभिन्न संरचनाओं के आर.सी.सी. डिजाईन, पम्पिंग मशीनरी के हाईड्रोलिक डिजाईन तथा पाईप नेटवर्क प्रणाली सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक सलाहकार के रूप में नियुक्त (जून 1999) किया था. वैपकोस ने ₹8.84 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ पाईप डिजाईनिंग तथा स्थलों के चयन सहित अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की (दिसम्बर 2000)। डी.पी.आर. में, यह सिफारिश की गई थी कि संवितरण नेटवर्क में ढलवां लोहा (सी.आई.) पाईप का उपयोग किया जाना चाहिए। दो भागों की बनी परियोजना को सितम्बर 2007 में पूर्ण किया जाना निर्धारित था:

भाग 1— भूमिगत हौदी तक जल उपचार संयंत्र में दमन गंगा नदी से वासडा हैदवाचिमल तक कच्चा जल पाईप लाईन

भाग 2— हौदी से क्षेत्र I, II तथा III (आई.एस.आई. चिन्हित सी.आई.एस./ एस. पाईप लाईने) तक स्वच्छ जल का संवितरण नेटवर्क

जिला पंचायत (जि.पं.) ने भाग-1 एवं 2 हेतु निधियों की उपलब्धता के बावजूद केवल भाग 2 कार्य को पहले करने का निर्णय लिया तथा कार्य को सितम्बर 2007 को समापन की निर्धारित तिथि सहित ₹317.03 लाख की लागत पर चार²⁷ विभिन्न दलों को सौंपा (फरवरी 2007) गया था जिसे अंततः समय सीमा के भीतर पूर्ण किया गया था। 2011 में भाग 1 कार्य करने का निर्णय लिया गया था। परियोजना को केवल भाग 1 को भाग 2 से जोड़े जाने के पश्चात ही पूर्ण माना जाना था क्योंकि स्वच्छ जल को पहले से पूर्ण तथा संस्थापित पाईप लाईन नेटवर्क को जोड़कर ही संवितरित किया जा सकता था।

भाग 1 को भाग 2 के साथ जोड़ने के लिए विभाग द्वारा मैसर्स फैंसाईल मावेन प्रा.लि. के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था (फरवरी 2013) जिन्होंने सूचित किया था कि नेटवर्क ढलवा लोहा (सी.आई.) पाईपों के स्थान पर कलईदार लोहा (जी.आई.) पाईपों के साथ डाला गया था। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ने यह भी प्रकट किया कि पाईपों के व्यास में बदलाव, दबाव मुक्त प्रणाली तथा भारी तरंगी भू-प्रोफाईल की गैर-स्थापना के कारण जी.आई. पाईपों की मौजूदा प्रणाली उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही थीं तथा इन्हें सी.आई. पाईपों के साथ बदला जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भाग 2 (क्षेत्र I,II,III एवं हौदी) के कार्य की तकनीकी संस्वीकृति अधीक्षक अभियंता, सं.शा.क्षे. दा.एवं न.ह. द्वारा प्रदान की गई थी। तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करते समय वैपकोस द्वारा प्रदान की गई डिजाईन विशिष्टताओं का अनुसरण नहीं किया गया था तथा परिणामस्वरूप भाग 2 का पूर्ण पाईप लाईन नेटवर्क अनुपयोगी पाया गया था। विभाग को क्षेत्र I,II एवं III के संवितरण पाईपलाईन नेटवर्क के कार्य को नए सिरे से करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि दूसरे चरण के कार्य के लिए अक्टूबर 2014 में फिर से नई निविदाएं की गई थीं तथा एक फर्म द्वारा ₹830.98 लाख की प्रस्तावित न्यूनतम निविदा को स्वीकार किया गया था। इस प्रकार, भाग 2 के अंतर्गत पहले डाले गए पाईपो पर किया गया ₹317.03 लाख का व्यय व्यर्थ साबित हुआ तथा परियोजना की लागत भी ₹513.95 लाख तक बढ़ी।

उपर्युक्त तथ्यों को कार्यकारी अभियंता द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसने बताया कि विशिष्टताओं को प्रारम्भ में वैपकोस द्वारा डिजाईन किया गया था परंतु लो.नि.वि. द्वारा उनकी अनुपालना नहीं की गई थीं तथा ऐसे विचलन हेतु विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई हो भी नहीं पाया गया था।

इस प्रकार, परियोजना की तकनीकी संस्वीकृति तैयार करते समय सलाहकार अभिकरण

²⁷ मेसर्स के.के. राठोड़ (₹83.37 लाख) (2) मेसर्स यूनिटी इन्टरप्राईजेज (₹84.31 लाख) (3) मेसर्स उमिया विलय कंस्ट्रक्शन (₹97.44 लाख) (4) टी.बी. परमार (₹51.92 लाख)

द्वारा अनुशंसित विशिष्टताओं की अनुपालना करने में विभाग की विफलता का परिणाम ₹317.03 लाख के व्यर्थ व्यय के रूप में हुआ। आगे दो गैर-समकालिक चरणों में कार्य को प्रारम्भ करने के कारण भाग 2 के कार्य निष्पादन में विचलन का पता छः वर्ष बाद लगाया जा सका एवं इसमें सुधार हुआ था। इस कारण, उसी कार्य हेतु ₹513.95 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मामला प्रशासक तथा मंत्रालय को क्रमशः मार्च 2015 तथा मई 2015 में प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव, पर्यटन विभाग

2.5 बजट अनुदान की समाप्ति से बचने के लिए ₹5.50 करोड़ का अनियमित आहरण

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, दमन ने बजट अनुदान की समाप्ति से बचने के लिए मार्च 2012 में ₹5.50 करोड़ की एक परियोजना, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2014 में स्वीकृत किया गया था के लिए ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम के पास अनियमित रूप से रखा।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 100 का उपनियम 2 अनुबंध करता है कि सरकारी खाते से किसी भी धन का आहरण नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी तुरंत संवितरण हेतु आवश्यकता न हो। माँगों की प्रत्याशा में अथवा बजट अनुदान की समाप्ति से बचने हेतु सरकारी खातों से धन का आहरण स्वीकार्य नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्यटन विभाग, दमन ने जमपूर समुद्र तट पर सी.एच. 350 मीटर से 1850 मीटर की सुरक्षा दीवार (समुद्र अपरदन) के निर्माण के कार्य हेतु ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.आई.डी.सी.) के पास मार्च 2012 में ₹5.50 करोड़ जमा किए। ओ.आई.डी.सी. के पास निधियों को जमा करने के समय सक्षम प्राधिकारी की न तो प्रशासनिक स्वीकृति अथवा व्यय संस्वीकृति थी और न ही तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त की गई थी। आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि इन कार्य हेतु दिसम्बर 2013 में ओ.आई.डी.सी. के मुख्य अभियंता द्वारा ₹33.09 करोड़ की राशि की तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई थी। ₹5.50 करोड़ के जमा को पूर्ण कार्य हेतु प्रारंभिक जमा के रूप में माना गया था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति सं.शा.क्षे. की स्थायी वित्त समिति (प्रशासक, विकास आयुक्त तथा वित्त सचिव को शामिल कर के बनी) द्वारा मार्च 2014 में प्रदान की गई थी। इसलिए, मार्च 2012 में ओ.आई.डी.सी., दमन के पास ₹5.50 करोड़ के जमा के समय न तो कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट थी और न ही अपेक्षित संस्वीकृतियां प्राप्त की गई थीं।

ओ.आई.डी.सी. में अभिलेखों की संवीक्षा ने यह भी प्रकट किया कि कथित कार्य हेतु निविदा को भी ओ.आई.डी.सी. द्वारा (दिसम्बर 2014 तक) अंतिम रूप भी नहीं दिया गया था तथा तब तक कोई व्यय भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, मार्च 2012 के महीने में सरकारी खातों से आहरित तथा ओ.आई.डी.सी. के पास जमा किए गए ₹ 5.50 करोड़ की राशि कार्य हेतु तुरंत संवितरण के लिए नहीं थी बल्कि इसका आहरण बजट अनुदान की समाप्ति से बचने के लिए किया गया था जो अनियमित था।

मामला मई 2015 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; इसका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्र शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली, पुलिस विभाग

2.6 संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण न किया जाना

पुलिस विभाग के लिए संचार नेटवर्क के लिए टेट्रा तकनीक के कार्यान्वयन में सं.शा.क्षे. प्रशासन विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। तटीय एवं संवेदनशील सं.शा.क्षे. में आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत यह प्रणाली जरूरी एवं महत्वपूर्ण गतिविधि है। सं.शा.क्षे. प्रशासन ने भी चार वर्षों से अधिक से ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.आई.डी.सी.) के पास ₹484.38 लाख की निधि को अवरुद्ध भी किया।

संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस बल की परिचालनात्मक क्षमता के सशक्तिकरण तथा अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से गृह मंत्रालय (गृ.मं.) ने दिल्ली के रा.रा.क्षे., चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, पांडिचेरी, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना (पु.आ.यो.) को शुरू करने के लिए अप्रैल 2006 में ₹884 करोड़ संस्वीकृति किए थे। पु.आ.यो. की अवधि 2006-07 से शुरू होकर 2010-11 तक की थी जिसे कि 2012-13 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दमन एवं दीव के संघ शासित क्षेत्र ने संचार, उपकरण, वाहनों, पुलिस स्टेशन/इमारतों, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हथियार आदि जैसे विभिन्न घटकों पर पु.आ.यो. के अंतर्गत पाँच वर्षों की अवधि में ₹22.50 करोड़ संस्वीकृत किया था। वर्ष 2007-08 के लिए कार्रवाई योजना की समिति ने निर्णय लिया (जनवरी 2008) कि एक परियोजना के रूप में दोनों संघ शासित क्षेत्रों (दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली) को शामिल करते हुए एक समग्र रेडियो वायरलेस प्रणाली को स्थापित किया जाए। परियोजना का उद्देश्य संचार नेटवर्क को सशक्त करना तथा पुलिस माहौल में सुधार लाना था। परियोजना की अनुमानित लागत ₹500 लाख थी (दादरा एवं नागर हवेली के लिए ₹200 लाख तथा दमन एवं दीव के लिए ₹300 लाख)।

मेसर्स टैली संचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड, (टै.सं.प.इं.लि.) को तकनीकी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था (मई 2009)। टै.सं.प.इं.लि. ने तकनीकी सर्वेक्षण का संचालन किया तथा वायरलेस रेडियो ट्रैकिंग वायरलेस प्रणाली के लिए टेट्रा तकनीक की सलाह दी थी। टै.सं.प.इं.लि. को परामर्शदाता शुल्क के रूप में ₹12.40 लाख का भुगतान किया गया था।

दमन एवं दीव के पुलिस विभाग ने मल्टीसाइट यू.एच.एफ. डिजिटल ट्रंकिंग प्रणाली (टेट्रा) के कार्यान्वयन हेतु निविदाएं जारी की थी और चार बोलीदाताओं अर्थात् (I) एच.सी.एल (II) 3 जी वायरलैस संचार (III) टैक महिन्द्रा एवं (IV) मोटोरोला इंडिया ने बोली लगाई थी। तकनीकी बोली 23.03.2009 को खोली गई थी। तकनीकी समिति द्वारा यथोचित विमर्श के पश्चात् समिति ने उपरोक्त चार बोलीदाताओं से मूल्य की बोली आमंत्रित की थी। बाद में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (के.स.आ.) ने परियोजना के बोली के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान कमियां पाई तथा उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया था। क्रय समिति द्वारा (परामर्शदाता की अनुसंधान पर) मौजूदा निविदा को रद्द करके परियोजना हेतु एक नई निविदा को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया (नवम्बर, 2009) था।

इसी बीच में, परियोजना के पूर्ण होने के लिए बिना कोई समय सीमा निर्धारित किए तथा संदर्भ की शर्तों के बिना टेट्रा प्रणाली के हेतु 03.02.2010 को ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.ओ.वि.नि.) लिमिटेड, दमन नोडल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया था। पुलिस विभाग ने परियोजना लागत के प्रति ओ.ओ.वि.नि. लिमि. के पास 04 फरवरी 2010 को ₹397.72 लाख तथा 12 मई 2010 को ₹86.66 लाख जमा किया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए ओ.ओ.वि.नि. तथा पुलिस विभाग द्वारा आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पु.आ. यो. (सं.शा.क्षे.) गृ.मं हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति की 14 मार्च 2012 को हुई बैठक में यह उल्लिखित किया गया था कि 2012-13 पु.आ.यो. के लिए अंतिम वित्तीय वर्ष था तथा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जहां संबंधित सं.शा.क्षे. वर्ष 2012-13 में निविदा गतिविधियों को पूरा करने तथा क्रय आदेश को अंतिम रूप देने में आश्वस्त नहीं था। गृ. मं. ने मई 2013 में भी पिछले वित्त वर्षों 2008-12 (2012-13 को छोड़कर) से संबंधित निधियों के पुनर्विनियोग/पुनर्वैधीकरण हेतु आई.जी.पी. दमन एवं डी. एवं एन.एच के अनुरोध को टुकराया था तथा पिछले वित्त वर्षों के शेष का अभ्यर्पण करने का निर्देश दिया था। यह पाया गया था कि ₹478.86 लाख के अव्ययित निधियों का अभ्यर्पण पुलिस विभाग ने गृ.मं. को जुलाई 2014 तक नहीं किया था। जुलाई 2014 में, ओ.ओ.वि.नि. ने दा.एवं ना.ह. के सं.शा.क्षे. से संबंधित ₹188.55 लाख की राशि की वापसी की थी जिसका अभ्यर्पण सं.शा. क्षे. प्रशासन द्वारा गृ.मं. को दिसम्बर 2014 में किया गया था। दमन एवं दीव के सं.शा.क्षे. से संबंधित ₹290.31 लाख तक की राशि की निधियां अभी भी ओ.ओ.वि.नि. लिमिटेड के पास पड़ी हुई थी (अप्रैल 2015)।

इस प्रकार, सं.शा.क्षे. प्रशासन द्वारा की गई सुस्त कार्रवाई का परिणाम दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली के पुलिस विभाग के लिए संचार नेटवर्क हेतु टेट्रा तकनीक के गैर-कार्यान्वयन में हुआ तथा चार वर्षों से अधिक के लिए ₹484.38 लाख की निधियों के अवरोधन में भी हुआ। यद्यपि, दा.ना.ह. के सं.शा.क्षे. से संबंधित ₹188.55 लाख की निधियों

की वापसी जुलाई 2014 में ओ.ओ.वि.नि. द्वारा कर दी गई थी, दमन एवं दीव के सं.शा.क्षे. से संबंधित ₹290.31 लाख अभी भी ओ.ओ.वि.नि. के पास पड़ी हुई थी। रेडियो ट्रकिंग वायरलैस प्रणाली के तटीय तथा संवेदनशील संघ शासित क्षेत्रों में संस्थापन के उद्देश्य की भी प्राप्ति नहीं हो पाई थी। अभ्यास निष्फल रहा।

इसे क्रमशः मार्च 2014 तथा नवम्बर 2014 में सं.शा.क्षे. प्रशासन तथा गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव, पर्यटन विभाग

2.7 लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली

लोक निर्माण विभाग, दमन ने दिसंबर 2006 में एक कार्य हेतु कुल ₹200.00 लाख की निधियों का अनियमित रूप से आहरण किया था तथा उसे ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.ओ.वि.नि.) के पास जमा कराया था। कार्य प्रारम्भ नहीं किया था तथा राशि आठ वर्षों से अधिक तक (दिसम्बर 2014 तक) ओ.ओ.वि.नि. के पास पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ओ.ओ.वि.नि. द्वारा राशि को वापस किया गया था (मार्च 2015)।

केन्द्रीय खजाना नियमावली का नियम 290 प्रावधान करता है कि “ खजाने से किसी धन का आहरण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह तुरंत संवितरण हेतु अपेक्षित न हो। माँगों के पूर्वानुमान अथवा बजट अनुदानों के व्यपगत होने से बचने हेतु धन का आहरण करना अनुमत नहीं है”

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), दमन तथा ओ.ओ.वि.नि; दमन के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.नि.वि., दमन ने ओ.ओ.वि.नि. के पास ₹200.00 लाख जमा किए थे जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है;

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	जमा की तिथि	प्राप्त निधियाँ (₹ लाख में)
1.	एम.जी. रोड सहित समुद्र के सामने वाली सड़क का सौंदर्यीकरण	सितंबर 2006	दिसंबर 2006	₹200.00

लेखापरीक्षा ने पाया कि निधि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए बिना जारी की गई थी। निधि की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी क्योंकि परामर्श/अन्य व्यय के प्रति केवल ₹0.38 लाख का व्यय किया गया था तथा आठ वर्षों के पश्चात भी कोई एन.आई.टी. जारी नहीं की गई थी। कुल ₹199.62 लाख की शेष निधियां ओ.ओ.वि.नि. के पास जमा में पड़ी हुई थीं (दिसंबर 2014)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर लो.नि.वि., दमन ने बताया (जून 2015) कि निधियों को प्रशासक द्वारा स्वीकृत नोट के अनुसार ओ.ओ.वि.नि. के लिए रखा गया था तथा इसे ओ.ओ.वि.नि. को जमा कराने हेतु कोई विशेष नियम एवं शर्तें अभिलेख पर नहीं थीं। ओ.ओ.वि.नि. को कोई निर्धारित तिथियां नियत नहीं की गई तथा आज तक ओ.ओ.वि.नि. के साथ कार्य की समाप्ति हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया था। आगे यह बताया गया (जुलाई 2015) कि ओ.ओ.वि.नि. ने लो.नि.वि. के कार्य "समुद्र के सामने वाली सड़क एम.जी.रोड का सौंदर्यीकरण" के पूर्ण जमा के प्रति ₹200.00 लाख की राशि को वापस कर दिया था (मार्च 2015)। ₹200.00 लाख की वापस की गई राशि को लो.नि.वि., दमन द्वारा सरकारी खाते में जमा (मार्च 2015) करा दिया गया था।

इस प्रकार, लो.नि.वि. द्वारा ₹200.00 लाख का अनियमित आहरण आठ वर्षों से अधिक के लिए इसके अवरोध का कारण बना तथा लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अतंतः इसकी वसूली की गई थी तथा सरकारी खाते में जमा कराया गया था।

मामला, मई 2015 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप

2.8 सरकारी निधियों का अनियमित रखा जाना

लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (ल.वि.नि.लि.) के पास कुल ₹216.59 करोड़ की निधियों को रखना तथा ₹40.48 करोड़ की अव्ययित राशि को लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र (ल.सं.शा.क्षे.) को अंतरण न करने के परिणामस्वरूप कुल ₹257.07 करोड़ के सरकारी धन का अवरोधन हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) का नियम 26 अनुबंध करता है कि व्यय उसी के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए निधियाँ प्रदान की गई हैं। नियम 30(II) अनुबंध करता है कि जब संस्वीकृति एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान में से व्यय का प्रावधान करती है तो वह उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। नियम 56 (1 एवं 2) आगे यह भी अनुबंध करता है कि "वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपयोग न की गई निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त माना जाएगा तथा उपयोग न किए गए प्रावधान का सरकार को अभ्यर्ण किया जाना चाहिए।"

लेखापरीक्षा ने पाया कि लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र (ल.सं.शा.क्षे.) प्रशासन ने प्रत्येक वर्ष के दौरान नए जलयानों के प्रापण हेतु अनुमान तैयार किए तथा भारत सरकार ने नए यात्री जलयानों के अधिग्रहण हेतु पूंजीगत परिव्यय के रूप में बजटीय आवंटन के माध्यम से ल.सं.शा.क्षे. को निधियां आबंटित की। ल.सं.शा.क्षे. प्रशासन द्वारा प्राप्त की गई निधियों का

संबंधित शिपयार्डों को चरण भुगतान हेतु इसे एक ब्याज वहन करने वाले खाते में रखने के निर्देश के साथ लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (ल.वि.नि.लि.) को अंतरण किया गया था।

2.8.1 निधियों को रखना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2002-03 से 2013-14 की अवधि के लिए ल.वि.नि.लि. (अनुबंध-VIII) को ₹749.70 करोड़ की कुल राशि का अंतरण किया गया था, जिसमें से ल.वि.नि.लि. ने मार्च 2014 तक ग्राहकों को केवल ₹525.92 करोड़ (इसमें 2013-14 में की गई वापसियां शामिल हैं) की राशि जारी की थी तथा ₹223.78 करोड़ की शेष राशि (अनुबंध-VIII) अभी भी उनके पास पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹223.78 करोड़ की राशि में ₹7.19 करोड़ ल.वि.नि.लि. (दिसम्बर 2007) द्वारा विभिन्न उल्लंघनों जैसे कि सुपूदगी में विलम्ब, अपर्याप्त गति, अधिक ईंधन खपत, कुल भार टन भार आदि हेतु विभिन्न शिपयार्डों से परिसमापन क्षति द्वारा प्राप्त किए गए थे। इन्हें ल.वि.नि.लि. के पास रखने के बजाए वसूली पर तुरंत ल.सं.शा.क्षे. को लौटाया जाना था।

विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों को सुनिश्चित करते समय उत्तर दिया (मार्च 2014) कि धन का निर्गम शिपयार्डों द्वारा कार्य के समापन पर निर्भर है इसलिए व्यय के यथार्थ समय की पहले ही पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती तथा शिपयार्डों को भुगतान जारी करने के लिए निधियों को तैयार रखा जाना था। जलयानों की कुल निर्माण लागत के अतिरिक्त ल.वि.नि.लि. के पास कोई अधिक निधि नहीं रखी थी। विभाग ने स्वीकार किया कि ल.वि.नि.लि. से केवल ₹7.19 करोड़ की वापसी बकाया थी।

2.8.2 ब्याज राशि का प्रेषण न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-14 की अवधि हेतु ल.वि.नि.लि. के वार्षिक लेखे के अनुसार, ल.वि.नि.लि. द्वारा मार्च 2014 तक प्राप्त ब्याज की कुल राशि ₹33.29 करोड़ थी जिसका अभी भी सरकारी खाते में प्रेषण किया जाना था (अनुबंध-IX) कई मामलों में शेष का पता लगाने हेतु विभाग तथा ल.वि.नि.लि. के बीच जमा एवं शेषों के आंकड़ों का समाधान नहीं किया गया है।

विभाग ने तथ्य तथा आंकड़ों को सुनिश्चित करते समय उत्तर दिया (मार्च 2014) कि निधि का ल.वि.नि.लि. द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार सावधि जमा में निवेश किया गया था। ल.वि.नि.लि. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि विभाग की निधियों को संबंधित विभाग के साथ समाधान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है तथा बंद की गई परियोजनाओं हेतु ब्याज सहित जमाओं को वापसी करने के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे।

विभाग के साथ-साथ ल.वि.नि.लि. के उत्तर को निम्नलिखित के दृष्टांत से देखा जाना है:

- (I) भविष्य की माँगों के पूर्वानुमान में सरकारी धन का आहरण जो नियमों के उल्लंघन में बजट अनुदानों की समाप्ति से बचने हेतु वित्तीय वर्ष से अधिक खींची जाए। ल.सं. शा.क्षे. प्रशासन जहाज निर्माण इकाईयों को केवल चरण भुगतान करने तथा तदनुसार निधियों को आहरण करने हेतु उत्तरदायी था।
- (II) अब तक पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियों तथा वसूलियों, चूंकि वह पहले दर्शाते हैं, को संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लिया जाएगा उसके बिना जहां ऐसी प्राप्तियों को एक विशिष्ट विभाग को लागू आवंटन की नियमावली के अंतर्गत सा.वि.नि. के नियम 94 के अनुसार राजस्व के रूप में लिया जाना है। इस प्रकार, परिसमापन क्षति के प्रति दिसंबर 2007 में उदग्रहण किए तथा वसूले ₹7.19 करोड़ को ल.वि.नि.लि. के पास रखने के बजाए वसूली पर तुरंत ल.सं.शा.क्षे. को लौटाने चाहिए थे।

इस प्रकार, सा.वि.नि. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ल.वि.नि.लि. के पास कुल ₹216.59 करोड़ की निधि का अप्राधिकृत रखे जाने तथा ल.सं.शा.क्षे. प्रशासन को ₹40.48 करोड़ (₹7.19 करोड़ + ₹33.29 करोड़) की वापसी योग्य राशि का अंतरण न करने का परिणाम कुल ₹257.07 करोड़ के सरकारी धन के अवरोधन में हुआ था। सावधि जमा से कुल ब्याज प्राप्त करने हेतु विकास कार्यों के लिए बनी आधिक्य निधियों को रखा जाना विवेकपूर्ण नहीं था। प्रणाली को सुप्रवाही बनाने तथा ब्याज सहित सभी रखी हुई निधियों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई की जाए।

मामला अप्रैल 2014 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

2.9 विशेष भत्ते का अधिक भुगतान

वित्त मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को एक ही समय पर द्वीप विशेष कार्य भत्ता (दूर्वी.वि.का.भ.) के अतिरिक्त दो विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते अर्थात् विशेष क्षतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्ता (वि.क्ष.दू.स्था.भ.) तथा हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) अनुमत किए। यह अपने कर्मचारियों को विशेष भत्ते के कारण ₹79.87 लाख के अधिक भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय ने निकोबार द्वीपसमूहों में तैनात सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2004 से एक विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर पर हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) प्रदान किया। आदेशों के अनुसार, उन स्थानों में जहां एक से अधिक क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकार्य है तो ऐसे स्टेशनों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास उस भत्ते का चयन करने का विकल्प होगा जो उन्हें अधिक लाभ प्रदान करें।

वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2008 में लक्षद्वीप में मिनीकोय में तैनात सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उसी शर्त के साथ 01 सितंबर 2008 से यह भत्ता प्रदान किया। इस विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते को बाद में, जहां कहीं लागू था, 15 प्रतिशत मूल वेतन+एन.पी.ए. की दर पर लक्षद्वीप के फिलतन, एंडरोट, कालपैनी, छैतलब, कादमत, अमिनी तथा बिटरा द्वीपों में तैनात सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया (नवम्बर 2011)।

सं.शा.क्षे.ल. में ग्राम (द्वीप) पंचायतों (ग्रा.दी.पं.), सं.शा.क्षे.ल. प्रकाशगृह तथा प्रकाश जहाजों में कार्य कर रहे कर्मचारियों तथा सं.शा.क्षे.ल. में कार्य कर रहे दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र कोची के कर्मचारियों के वेतन बिल पंजिका की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि कर्मचारियों को सरकारी आदेशों के उल्लंघन में द्वीप विशेष कार्य भत्ता (दी.वि.का.भ.) के अतिरिक्त दोनों विशेष क्षतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्ता (वि.क्ष.दू.स्था.भ.) तथा हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) प्रदान किए गए थे। मंत्रालय के आदेशों के अनुसार दी.वि.का.भ. को या तो वि.झ.दू.स्था.भ. या फिर हा.ए.भ. के साथ प्राप्त किया जा सकता है तथा एस.सी.ए. को सबसे कम होने से अनिवार्य किया जा सकता है। इस प्रकार, कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान को ₹79.87 लाख परिकल्पित किया गया था **(अनुबंध X)**।

इसे इंगित किए जाने पर (मई 2013), प्रशासन ने मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया। मंत्रालय ने सुस्पष्ट किया (फरवरी 2014) कि कर्मचारी द्वीप विशेष कार्य भत्ते (दी.वि.का.भ.) सहित एक साथ वि.क्ष.दू.स्था.भ. तथा हा.ए.भ. प्राप्त नहीं कर सकते तथा वह दी.वि.का.भ. सहित या तो वि.क्ष.दू.स्था.भ. या फिर हा.ए.भ. प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टीकरण की प्राप्ति के पश्चात, वित्त एवं लेखा विभाग, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को अनियमित भुगतान रोकने हेतु निर्देश जारी किया (फरवरी 2014)। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालयों के निर्देशों के आधार पर, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने संबंधित सभी आ.सं.अ. को सितंबर 2014 से आगे के वेतन बिलों से सितंबर 2008 से मार्च 2014 तक किए गए अधिक भुगतानों की वसूली शुरू करने का निर्देश देते हुए एक कार्यालय ज्ञापन (सितंबर 2014) जारी किया।

मंत्रालय (मार्च 2015) ने सं.शा.क्षे.ल. के उत्तर (अक्टूबर 2014) को भी समर्थित किया कि सं.शा.क्षे.ल. के अंतर्गत आ.सं.अ. को द्वीप विशेष कार्य भत्ता (दी.वि.का.भ.) सहित एक साथ हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) तथा विशेष क्षतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्ता (वि.क्ष.दू.स्था.भ.) के प्रति अनियमित रूप से प्राप्त अधिक राशि की वसूली शुरू करने हेतु आवश्यक अनुदेश सूचित किया गया था।

इस प्रकार, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन द्वारा वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. (मार्च 2004 तथा अगस्त 2008) में दी गई शर्तों के गैर-अनुपालन का परिणाम ₹79.87 लाख के अधिक भुगतान में हुआ। इस राशि की वसूली प्रतीक्षित थी।

2.10 इंसीनरेटरों के प्रापण एवं संस्थापन में विलंब

सं.शा.क्षे. लक्षद्वीप के प्रशासन द्वारा उचित निधियां होने के बावजूद इंसीनरेटरों के प्रापण एवं संस्थापन में विलंब के कारणवश 4 वर्षों से अधिक के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पास ₹39.48 लाख अवरुद्ध हुए तथा अन्य उद्देश्य हेतु ₹23.45 लाख की निधियों का विपथन हुआ था।

2014 की भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 25 में यह उल्लेख किया गया था कि चिकित्सकीय गतिविधियों का अपशिष्ट खतरनाक, जहरीला तथा जानलेवा भी होता है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन को सूचित करते समय लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित अस्पतालों में अनिवार्य प्राधिकरण के बिना ही सरकारी अस्पताल जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को बना रहे थे, एकत्रित कर रहे थे तथा निपटान कर रहे थे। जैव चिकित्सा अपशिष्ट की अभिक्रिया तथा निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) को अनुसूची 1, के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें बताया गया है कि मानव शरीर के अपशिष्ट का निपटान या तो इंसीनरेटरों या फिर गहराई में दफना कर किया जाना चाहिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, कवारत्ती की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि मार्च/नवम्बर 2010 में आठ इंसीनरेटरों के प्रापण के लिए मिशन निदेशक, रा.ग्रा. स्वा.मि. को ₹89.90 लाख दिए गए थे जिसमें से ₹23.45 लाख की राशि को विभाग द्वारा सा.वि.नि. के नियम 26 के उल्लंघन में अन्य उद्देश्यों के लिए विपथित किया गया था। विभाग पर्यावरण के मानदंडों के अनुसार जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के उद्देश्य की पूर्ति के बिना 4 वर्षों से अधिक हेतु ₹39.48 लाख के शेष को छोड़कर केवल ₹26.97 लाख का उपयोग कर पाया था। मामले को विस्तृत रूप से नीचे दिया गया है:

पर्यावरण की दृष्टि से इंसीनरेटर के संस्थापन हेतु आवश्यकता को समझते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (विभाग) निदेशालय, कवारत्ती ने ₹38.80 लाख की कुल राशि पर अमिनी, अंद्रोथ एवं अगात्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सरकारी अस्पताल, मिनीकोय में प्रत्येक में संस्थापन हेतु 10 कि.ग्रा. प्रति घंटा की क्षमता वाले चार इंसीनरेटरों के प्रापण हेतु मैसर्स एस्को इंजीनियरिंग प्रा. लिमि, कोलकाता को आपूर्ति आदेश दिया (फरवरी 2010)। आपूर्ति की देय तिथि 20 मार्च 2010 थी जिसे जून 2010 तक आगे बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निदेशालय, राज्य स्वास्थ्य संस्था, कवारत्ती को इंसीनरेटरों का प्रापण करने तथा संस्थापित करने तथा सहमत नियम एवं शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ₹41 लाख जारी किए गए थे (17 मार्च 2010)।

फर्म मैसर्स एस्को इंजीनियरिंग प्रा.लिमि., कोलकाता द्वारा एक वर्ष के विलंब के पश्चात प्रथम इंसीनरेटर की आपूर्ति (जुलाई 2010) तथा संस्थापना (अप्रैल 2011) मिनीकोय के सरकारी

अस्पताल में की गई थी। वह शेष तीन इंसीनरेटरों की आपूर्ति देय तिथि तक करने में विफल रहे। इसलिए विभाग ने आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया (अगस्त 2010)।

इसी दौरान, अगस्त 2010 में सं.शा.क्षे. प्रशासन ने कपलेनी, कदामत, किलतान एवं चेतलात द्वीपसमूहों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थापन हेतु चार और इंसीनरेटरों के प्रापण हेतु दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाता मैसर्ज एसेप्टिक सिस्टमस कोयम्बटूर को आपूर्ति आदेश जारी किया था। इन चार अतिरिक्त इंसीनरेटरों के लिए रा.ग्रा.स्वा.मि. को ₹48.90 लाख की राशि जारी की गई थी (नवम्बर 2010)। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्ज एसेप्टिक सिस्टमस द्वारा 2011 में आपूर्ति किए गए चार इंसीनरेटरों में से तीन तो आपूर्ति आदेश के अनुसार कपलेनी, किलतान तथा चेतलात द्वीपसमूह में संस्थापन के लिए थे परंतु वास्तव में अमिनी, अंदोथ तथा अगात्ती द्वीपसमूह में इन्हे आपूर्ति/संस्थापित किया गया था जहाँ पर पूर्व फर्म मैसर्ज एस्को इंजीनियरिंग प्रा.लिमिटेड को इन्हे स्थापित करना था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इंसीनरेटरों को अंदोथ (मई 2011) तथा अगात्ती (जनवरी 2014) में संस्थापित किया गया था हालांकि, अमिनी तथा कदामत में इंसीनरेटरों की संस्थापना को सा.स्वा.के. अमिनी तथा प्रा.स्वा.के. कदामत में स्थल को तैयार न रखने के कारण नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने इंसीनरेटरों के प्रापण के लिए उपलब्ध शेष निधियों में से ₹23.45 लाख की राशि को एयर कंडीशनर के संस्थापन प्रभारों एवं अल्ट्रा साउंड मशीन के क्रय के लिए विपथित किया था।

इसी प्रकार, मार्च/नवम्बर 2010 में 8 इंसीनरेटरों के प्रापण हेतु मिशन निदेशक, रा.ग्रा.स्वा. मि., राज्य स्वास्थ्य संस्था को ₹89.90 लाख की कुल राशि में से ₹23.45 लाख को प्रशासन द्वारा अन्य उद्देश्य के लिए विपथित किया गया था। पाँच इंसीनरेटरों का प्रापण किया गया था जिसमें से केवल तीन को संस्थापित किया गया था।

विभाग केवल ₹26.97 लाख का उपयोग कर पाया था जिसमें से अभिप्रेत उद्देश्य की आपूर्ति किए बिना चार वर्षों से अधिक के लिए ₹39.48 लाख का शेष अप्रयुक्त रहा **(अनुबंध—XI)।**

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त तथ्यों को इंगित किए जाने पर (जुलाई 2013), विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि बार-बार दिए गए अनुस्मारकों के बावजूद फर्म ने कपलेनी, किलतान एवं चेतलात हेतु इंसीनरेटरों की आपूर्ति नहीं की थी। स्थल को तैयार न रखने को कदामत तथा अमिनी में गैर-संस्थापना का कारण बताया गया था। आगे यह बताया गया था (दिसम्बर 2014) कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही राशि को राज्य स्वास्थ्य संस्था (रा.स्वा.ग्रा.सं.) के पास रखा गया था तथा उचित स्वीकृति के साथ इसे कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया गया था।

यह उत्तर इंसीनरेटरों की शीघ्र आपूर्ति एवं संस्थापन को सुनिश्चित करने में प्रशासन की विफलता को स्पष्ट नहीं करता। यह धन का अंतरण करते समय प्रापण हेतु मिशन के साथ किसी अनुबंध को निष्पादित न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता, जिसके कारणवश चार वर्षों से अधिक के लिए राज्य अभिकरण के पास ₹39.48 लाख अवरूद्ध हुए तथा सा.वि.नि. प्रावधानों के उल्लंघन में अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों का विपथन हुआ था आवश्यक आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं का सृजन किए बिना प्रापण किए जाने के कारणवश चार वर्षों से अधिक के लिए दो इंसीनरेटर व्यर्थ पड़े रहे। जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान हेतु पर्यावरण के मानदंडों का अनुसरण करके इंसीनरेटरों के प्रापण एवं संस्थापन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।

मामले को गृह मंत्रालय को संप्रेषित किया गया था (जनवरी 2015) उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

2.11 लेखापरीक्षा के उल्लेख करने पर वसूली ₹27 लाख

संघ शासित क्षेत्र, लक्षद्वीप ने गोदाम कार्यालय के निर्माण के प्रति अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किए बिना जनवरी 2009 तथा अगस्त 2010 के बीच सहकारी समिति को ₹27 लाख की आर्थिक सहायता जारी की थी। कार्य को चार वर्षों से अधिक तक आरम्भ नहीं किया जा सका था। सहकारी समिति ने उद्देश्य, जिसके लिए आर्थिक सहायता जारी की गई थी, को प्राप्त किए बिना जनवरी 2015 में इसे वापस कर दिया था।

लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघ (ल.स.वि.सं.) एक पंजीकृत समिति है जो उपभोज्य तथा गैर-उपभोज्य टिकाऊ उत्पादनों के प्रापण तथा लोक संवितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक उपयोगी वस्तुओं के महाद्वीप से सं.शा.क्षे.ल. के द्वीपों तक परिवहन पर लक्षित है। सं.शा.क्षे.ल. में प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा लोक संवितरण हेतु अपेक्षित पूर्ण माल का बैपोर पत्तन के माध्यम से प्रापण तथा प्रेषण किया जाता है। ल.स.वि.सं. बैपोर पत्तन के माध्यम से संचालित माल के एक बड़े भाग को शामिल करता है। इसलिए सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन द्वारा बैपोर पर ल.स.वि.सं. हेतु गोदाम/कार्यालय का निर्माण करने का निर्णय (2009) लिया गया था। प्रशासन ने जनवरी 2009 तथा अगस्त 2010 के बीच छः किशतों में ₹54 लाख (₹27 लाख ऋण तथा ₹27 लाख आर्थिक सहायता) प्रदान किए। आर्थिक सहायता तथा ऋण के कारण राशि को आवेदन तथा ल.स.वि.सं. द्वारा प्रस्तुत कार्यकारी समिति प्रस्ताव/बन्धकपत्र के आधार पर अदा किया जाना था। ऋण समय-समय पर बकाया मूल पर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर देय ब्याज के साथ मूल की 15 बराबर किशत में प्रतिदेय था। आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि राशि का एक वर्ष के भीतर उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना था जिसके लिए

वह संस्वीकृत थी तथा यदि संस्वीकृत राशि का कोई भाग अप्रयुक्त रहता है तो उसे सरकार को वापस लौटाया जाएगा तथा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रशासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सं.शा.क्षे. लक्षद्वीप प्रशासन ने बैपौर में ल.स.वि.सं. परिसर में ₹1.35 करोड़ की लागत पर चार गोदामों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति केवल दिसंबर 2010 में जाकर ही प्रदान की थी। इस प्रकार निधियाँ प्र.स्वी. तथा व्य.सं. प्रदान किए जाने से पूर्व जारी की गई थी।

मार्च 2011 में, ल.लो.नि.वि. ने पत्तन विकास क्षेत्र में निर्माण कार्य को निष्पादित करने हेतु अनुमति की माँग करते हुए मामले को पत्तन निदेशक, केरल के साथ उठाया था। इसका अनुसरण फरवरी 2013 में दो वर्षों के बीत जाने के पश्चात तथा बाद में अक्टूबर 2013, जनवरी 2014 तथा जून 2014 में किया गया था। फिर भी, निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका था क्योंकि निदेशक पत्तन, केरल से कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी (दिसंबर 2014)।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2014), सहकारी समिति रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2015) कि विलम्ब सांविधिक आवश्यकताओं तथा केरल सरकार से सहयोग प्राप्त करने में विलम्ब के कारण था। ल.स.वि.सं. ने जनवरी 2015 अर्थात् पाँच वर्षों से अधिक के पश्चात सं.शा.क्षे. के खाते में ₹27 लाख की आर्थिक सहायता को वापिस किया था। आगे यह उत्तर दिया गया था (जून 2015) कि आर्थिक सहायता का निर्गम इस प्रत्याशा पर आधारित था कि चूंकि ल.स.वि.सं. के गोदाम/कार्यालय परिसर 1970 से प्रस्तावित स्थल पर पहले से ही कार्य कर रहे थे जिसके लिए केरल द्वारा उस समय अनुमति प्रदान की गई थी जब ल.स.वि.सं. की स्थापना की गई थी, इसलिए नवीन अनुमति की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

गृह मंत्रालय (अप्रैल 2015) ने लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए प्रशासक, सं.शा.क्षे.ल. को भी ड्राफ्ट पैराग्राफ की एक प्रति समर्थित की थी।

रजिस्ट्रार के उत्तर पर लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया था:

- ♦ गोदाम/कार्यालय के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता को बोर्ड के प्रस्ताव तथा ल.स.वि.सं. द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति (दिसंबर 2010) प्रदान किए जाने से भी पूर्व जनवरी 2009 से अगस्त 2010 के बीच जारी किया गया था। बाद में, प्रशासनिक स्वीकृति गोदाम/कार्यालय की स्थापना करने के पहले के प्रस्ताव के स्थान पर चार गोदामों के निर्माण हेतु प्रदान की गई थी।

- ♦ यद्यपि कार्यकारी अभियन्ता ल.लो.नि.वि. तथा ल.स.वि.सं. प्राधिकारियों ने पत्तन निदेशक, केरल की अनुमति हेतु आवेदन किया था फिर भी ल.स.वि.सं. द्वारा निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीनों के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र को प्राप्त करने, जो संस्वीकृति के अनुसार अपेक्षित था, हेतु प्रशासन द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृति आदेश ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्वीकृत राशि के अप्रयुक्त भाग, यदि कोई हो, का सरकारी खाते में वापसी का अनुबद्ध किया फिर भी प्रशासन अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा जिसका परिणाम चार वर्षों से अधिक के लिए ₹27 लाख की निधि को अवरोधन में हुआ। यह केवल दिसम्बर 2014 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात किया गया था, जो ल.स.वि.सं. ने प्रशासन को ₹27 लाख वापस किए थे (जनवरी 2015)।

अध्याय III : राजस्व क्षेत्र

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

पिछले तीन वर्षों के दौरान सं.शा.क्षे. प्रशासनों द्वारा वसूल किए गए कर तथा गैर-कर राजस्वों का उल्लेख तालिका 3.1.1 में किया गया है।

तालिका: 3.1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कर राजस्व	2599.93	2593.67	2795.67
2.	गैर-कर राजस्व	1003.15	1105.27	1364.69
	सं.शा.क्षे. प्रशासनों को कुल राजस्व प्राप्तियां	3603.08	3698.94	4160.36

स्रोत: गृ.मं. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

यद्यपि कुल राजस्व प्राप्तियों में 2012-13 में दर्ज 2.66% की वृद्धि के प्रति 2013-14 में पिछले वर्ष से 12.47% की वृद्धि हुई थी, कर राजस्व का अंश 2011-12 में 72.16% से गिरकर 2013-14 में 67.20% हो गया। 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पाँचों सं. शा.क्षे. संबंधित अंश निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाए गए हैं:

चार्ट-8



3.1.2 कर राजस्व

2012-13 तथा 2013-14 की अवधि के दौरान पाँच सं.शा.क्षे. प्रशासनों द्वारा वसूल किए गए कर राजस्व के विवरण तालिका 3.1.2 में दर्शाए गए हैं।


तालिका-3.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	वर्ष	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादरा एवं नागर हवेली	दमन एवं दीव	लक्षद्वीप	कुल
1.	भूमि राजस्व	2012-13	24.32	--	0.69	0.43	0.12	25.56
		2013-14	0.80	--	0.01	0.63	0.17	1.61
2.	स्टांप एवं पंजीकरण	2012-13	4.04	90.43	13.88	19.37	0.47	128.19
		2013-14	4.18	126.07	2.20	14.43	0.51	147.39
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	33.80	277.05	1.75	131.49	--	444.09
		2013-14	41.80	256.00	3.18	199.38	--	500.36
4.	बिक्रीकर	2012-13	--	1100.93	321.39	384.13	--	1806.45
		2013-14	--	1332.04	74.65	514.46	--	1921.15
5.	वाहनों पर कर	2012-13	1.47	104.06	20.33	14.45	--	140.31
		2013-14	2.05	133.13	2.87	11.33	--	149.38
6.	अन्य	2012-13	0.31	46.81	--	1.45	0.50	49.07
			2.39	71.64	--	1.44	0.31	75.78
कुल		2012-13	63.94	1619.28	358.04	551.32	1.09	2593.67
		2013-14	51.22	1918.88	82.91	741.67	0.99	2795.67

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पाँचों सं.शा.क्षे. द्वारा संग्रहीत कुल कर राजस्व में 2012-13 2013-14 के दौरान 7.79 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से चण्डीगढ़ (+18.50 प्रतिशत) तथा दमन एवं दीव (+34.53 प्रतिशत) द्वारा अधिक संग्रहणों द्वारा हुई थी जो शेष तीनों सं.शा.क्षे. (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (-19.89 प्रतिशत), दादरा एवं नागर हवेली (-76.84 प्रतिशत) तथा लक्षद्वीप (-9.17 प्रतिशत) में विपरीत प्रवृत्ति से समायोजित हो गए थे। पाँचों सं.शा.क्षे. में से चण्डीगढ़ सबसे बड़ा योगदानकर्ता था जबकि सबसे अधिक संग्रहण 'बिक्री कर' शीर्ष के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान कर प्राप्तियों का सं.शा.क्षे. के अनुसार संवितरण निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:-

चार्ट-9



3.1.3 गैर-कर राजस्व

2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरान वसूले गए गैर-कर राजस्व के विवरण तालिका 3.1.3 में दर्शाए गए हैं ।

तालिका 3.1.3

वसूले गये गैर-कर राजस्व के विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	वर्ष	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादरा एवं नागर हवेली	दमन एवं दीव	लक्षद्वीप	कुल
1.	पुलिस	2012-13	0.36	10.44	0.58	0.26	0.05	11.69
		2013-14	0.54	13.39	0.06	0.29	0.04	14.32
2.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012-13	3.02	15.41	0.13	0.83	0.15	19.54
		2013-14	2.84	20.77	0.01	1.34	0.02	24.98
3.	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	2012-13	0.44	31.14	0.64	0.34	0.03	32.59
		2013-14	0.29	30.76	0.02	0.43	0.04	31.54

4.	आवास	2012-13	0.53	7.97	0.15	0.20	0.25	9.1
		2013-14	0.60	5.18	0.01	0.31	0.10	6.2
5.	विद्युत	2012-13	84.53	614.2	16.65	1.44	11.20	728.02
		2013-14	100.39	741.07	0	127.04	12.67	981.17
6.	अन्य	2012-13	110.24	154.83	6.94	3.61	28.70	304.32
		2013-14	123.75	139.24	0.37	4.80	38.33	306.49
कुल		2012-13	199.12	833.99	25.09	6.68	40.38	1105.27
		2013-14	228.41	950.41	0.47	134.21	51.20	1364.69

कुल गैर-कर राजस्वों में 2012-13 से 2013-14 तक 23.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि वार्षिक अवधि के दौरान दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीप सं.शा.क्षे. ने विपरीत प्रवृत्तियां प्रदर्शित की थीं। यद्यपि दादरा एवं नागर हवेली में 98.18 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज हुई, उसी अवधि के दौरान दमन एवं दीप द्वारा अर्जित राजस्व में 1909.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। शीर्ष-वार संग्रहों के अनुसार 'विद्युत' का योगदान सर्वाधिक रहा जिसमें, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व संग्रहों का क्रमशः 65.87 प्रतिशत तथा 71.90 प्रतिशत था। 2013-14 के दौरान संग्रहित किए गए प्रमुख गैर-कर राजस्वों का अंश निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट-10



3.1.4 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के बीच विषमता


वर्ष 2013-14 हेतु विभिन्न सं.शा.क्षे. के कर तथा गैर-कर राजस्व शीर्षों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों के मध्य विषमताओं को तालिका 3.1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.4
बजट अनुमानों तथा वास्तविक राशियों के बीच विषमताएँ
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सं.शा.क्षे. का नाम	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	विषमता (+) वृद्धि (-) कमी	प्रतिशतता (ब.अ.के. संबंध में विषमता)
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	कर	42.54	51.22	8.68	20.40
		गैर-कर	200.28	228.41	28.13	14.05
		कुल	242.82	279.63	36.81	15.16
2.	चण्डीगढ़	कर	1691.27	1918.88	227.61	13.46
		गैर-कर	885.15	950.41	65.26	7.37
		कुल	2576.42	2869.29	292.87	11.37
3.	दादर एवं नागर हवेली	कर	484.84	82.91	-401.93	-82.90
		गैर-कर	7.52	0.47	-7.06	-93.88
		कुल	492.36	83.37	-408.99	-83.07
4.	दमन एवं दीव	कर	523.91	741.67	217.76	41.56
		गैर-कर	5.49	134.21	128.72	2344.63
		कुल	529.4	875.88	346.48	65.45
5.	लक्षद्वीप	कर	3.94	0.99	-2.95	-74.87
		गैर-कर	54.65	51.2	-3.45	-6.31
		कुल	58.59	52.19	-6.4	-10.92

दादरा एवं नागर हवेली के अतिरिक्त, जहाँ वास्तविक प्राप्तियों में अनुमानों के प्रति 83.07 प्रतिशत तक की गिरावट आई थी। सभी सं.शा.क्षे. में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से अधिक रही थीं। दूसरी ओर, दमन एवं दीव के सं.शा.क्षे. में वास्तविकताएं अनुमानों से 65.45 प्रतिशत तक बढ़ गयी थीं। विधायिका रहित पाँचों सं.शा.क्षे. के संदर्भ में वर्ष 2013-14 हेतु बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों की तुलनाएँ को निम्नलिखित चार्ट में दर्शायी गयी हैं:

चार्ट-11



3.2 अनुपालना लेखापरीक्षा मुद्दे

इस अध्याय में नियमों के अनुसार राजस्व का गैर-प्राप्ति से संबंधित मुद्दों पर की गई अभ्युक्तियों से संबंधित पाँच पैराग्राफ सम्मिलित है। इसकी चर्चा नीचे की गई है:

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय

3.2.1 सेवा कर का उद्ग्रहण न किया जाना

पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय (पो.प.से.नि.) 01 सितम्बर 2009 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान "राष्ट्रीय जलमार्गों एवं अंतर्देशीय जल के माध्यम से पहुंचाए गए माल एवं तटीय माल की ढुलाई" के अंतर्गत वर्गीकरण सेवाओं के लिए ₹ 31.93 लाख की राशि का सेवा कर लगाने, संग्रह करने तथा प्रेषित करने में विफल हुआ था।

(I) तटीय माल, (II) राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से भेजा गया माल या (III) अंतर्देशीय जल के माध्यम से भेजे गये माल की ढुलाई से संबंधित सेवाएं वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार सेवा कर की सीमा में आता है। माल की ढुलाई पर 10.30 प्रतिशत की समेकित दर जिस पर अन्यथा भारत सरकार (भा.स.) द्वारा राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से छूट नहीं दी जाती है, उस पर 01 सितम्बर 2009 से सेवा कर लगाया जाना था।

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय (पो.प.से.नि.), अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 (1) के अनुसार "तटीयमाल की ढुलाई एवं राष्ट्रीय जलमार्गों एवं अंतर्देशीय जल के माध्यम से पहुंचाए गए माल" के अंतर्गत वर्गीकरण ढुलाई सेवा प्रदान की थी तथा 01 सितम्बर 2009 से इसपर सेवा कर भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (अक्टूबर 2012) कि 01 सितम्बर 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान, यद्यपि क्रमशः पोर्ट ब्लेयर तथा चैन्नई में पो.प.से.नि. द्वारा छूट प्राप्त न किए गए मर्दों के लिए ₹1.28 करोड़ तथा ₹1.82 करोड़ की राशि के भाड़ा प्रभार एकत्र किए गए थे, परन्तु पो.प.से.नि. कोई सेवा कर नहीं लगाया था।

इस प्रकार, पो.प.से.नि. 01 सितम्बर 2009 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान "राष्ट्रीय जलमार्गों एवं अंतर्देशीय जल के माध्यम से पहुंचाए गए माल एवं तटीय माल की ढुलाई" के अंतर्गत वर्गीकरण सेवाओं के लिए ₹31.93 लाख¹ की राशि का सेवा कर लगाने, संग्रह करने तथा प्रेषित करने में विफल हुआ था।

पो.प.से.नि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि अप्रैल 2012 से पूर्व सेवा कर को लगाए जाने के बारे में विभाग को नहीं पता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पो.प.से.नि. द्वारा प्रदान की गई ढुलाई सेवा वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार सेवा कर की सीमा में लाई गई थी। यह विभाग की व्यावसायिकता तथा नवीनतम नियमों, विनियमन तथा सरकार के आदेशों

1 (₹1.82 + ₹1.28 करोड़) * 10.30 प्रतिशत

के अनुसार चलने में विभाग की क्षमता के बारे में चिंता का गंभीर विषय बनता है। इसके अतिरिक्त, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अण्डमान एवं निकोबार प्रभाग ने पो.प.से.नि. को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता तथा माल की ढुलाई पर सेवा कर को लगाए जाने के बारे में बताया था (अगस्त 2011)। लेखापरीक्षा में यह पाया कि कर विभाग से बात होने के बावजूद पो.प.से.नि. को अभी (जनवरी 2015) भी सेवाकर विभाग से पंजीकरण लेना था तथा अप्रैल 2012 से एकत्र किए गए सेवाकर को अन्य विभागीय रसीदों के साथ सरकारी खाते में सीधे प्रेषित किया जा रहा था।

मंत्रालय एवं विभाग को जनवरी 2015 में मामला सूचित किया गया था। विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की थी। हालांकि, जून 2015 तक मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़

3.2.2 पट्टे विलेखों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क कम लगाया जाना —₹226.57 लाख

पट्टे विलेखों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क की कम लागू दर लगाए जाने के कारणवश ₹ 226.57 लाख की कम वसूली हुई थी।

दिनांक 30-11-2007 के गृह मंत्रालय के भा.स. ज्ञापन सं. यू. 11015/1/2006—यू.टी.एल. के माध्यम से चण्डीगढ़ के सं.शा.क्षे. को प्रदान किए गए भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1994 एवं अधिनियम 1998 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 35 के अनुसार पट्टे विलेखों के पंजीकरण पर शुल्क की निम्नलिखित दरें लागू होती थी।

क्र.सं.	अवधि	शुल्क की दर
1.	एक वर्ष से कम अवधि हेतु किराए का पट्टा विलेख	पूर्ण देय राशि ₹1000 पर ₹ 20/- तथा ₹1000/- के आधिक्य में हर ₹500/- या उसके भाग के लिए ₹10/-।
2.	एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्षों से कम की अवधि हेतु किराए का पट्टा विलेख	आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि के 1000/- पर ₹20/- तथा ₹1000/- के आधिक्य में हर ₹500/- या उसके भाग के लिए ₹ 10/-।
3.	5 वर्षों से अधिक तथा 10 वर्षों से कम की अवधि हेतु किराए का पट्टा विलेख	आरक्षित औसत वार्षिक किराए की कीमत या ₹1000/- के बराबर की राशि पर ₹30/- और हर ₹500/- या ₹1000/- के आधिक्य में उसके भाग पर ₹15/-।
4.	10 वर्षों से अधिक तथा 20 वर्षों से कम की अवधि हेतु किराए का पट्टा विलेख	आरक्षित औसत वार्षिक किराए की कीमत या दोगुनी राशि के बराबर ₹1000/- पर ₹30/- तथा हर ₹500/- या ₹1000/- के आधिक्य में उसके भाग पर ₹15/-।

दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2014 के माह हेतु उप-रजिस्ट्रार, सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2015), में लेखापरीक्षा ने पाया कि कम से कम एक वर्ष तथा 5 वर्षों से कम की अवधि (उपरोक्त तालिका की क्र.सं. 2) के लिए किराए के पट्टे विलेखों हेतु आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि के हर 1000 पर ₹15/- लगाकर पट्टे विलेख पंजीकृत किए गए थे। जबकि अधिसूचना के अनुसार औसत आरक्षित वार्षिक किराए की राशि के हर 1000 पर ₹20 की दर से लागू की जानी चाहिए थी। इस चूक के कारण नमूना परीक्षित दो माहों के दौरान ₹2,75,333 की राशि कम लगाई गई थी। उप-रजिस्ट्रार से आगे लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए 30.11.2007 से 31.03.2014 तक विभगीय रूप से स्टांप शुल्क की कम वसूली का समाधान निकालने के लिए कहा गया था (अक्तूबर 2014)।

उप रजिस्ट्रार, चण्डीगढ़ ने सूचना दी (दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2015) कि नवम्बर 2007 से मई 2014 के दौरान कम वसूली गई ₹ 2,26,56,840 (10,072 पट्टे विलेखों की संख्या पर) की राशि पहचान ली गई थी जिसमें ₹ 73,50,808 की वसूली सरकारी राजकोष, चण्डीगढ़ में जमा राजकोषीय चालानों के रूप में जमा थे उन्हें पार्टी से वसूल कर लिया गया था। ₹1,53,06,032 (6241 पट्टे विलेखों पर) की शेष राशि की वसूली करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। उप-आयुक्त सह रजिस्ट्रार सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ ने घटी हुई राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किया तथा पट्टे विलेखों की सूची को भूमि राजस्व की वसूली हेतु कलेक्टर के कार्यालय की संबंधित शाखा को प्रेषित किया गया था। एन.आई.सी. द्वारा कम्प्यूटर प्रणालियों में 2% की बजाए 1.5% की गलत दरों पर स्टांप शुल्क लगाकर पट्टे विलेखों को पंजीकृत किया गया था। उप-आयुक्त सह रजिस्ट्रार ने चूक के लिए दायित्व निर्धारित करने निर्धारित सुधारने के आदेश दिए हैं (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार, कमजोर इनपुट नियंत्रणों एवं शामिल अधिकारियों की असतर्क व्यवहार के कारण स्टांप शुल्क की कम दरें लगाकर पट्टे विलेखों पंजीकृत किए गए थे जिसके कारण ₹226.57 लाख की स्टांप शुल्क की कम वसूली हुई थी जिसमें अप्रैल 2015 तक ₹153.06 लाख की वसूली की जानी थी।

मामले को भा.स.गु.मं. के सचिव एवं वित्त सचिव, सं.शा.क्षे. को प्रेषित कर दिया गया था। (अक्तूबर 2014 एवं मार्च 2015)। उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

3.2.3 बिजली बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब

विद्युत विभाग, सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ होटल माउंट व्यू चण्डीगढ़ से समय पर निर्धारित प्रभारों की माँग प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसका परिणाम ₹ 40.18 लाख के राजस्व की हानि में हुआ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(1)के अनुसार “जहाँ कोई व्यक्ति आपूर्ति, संचारण अथवा इसको बिजली प्रदान करने के संबंध में एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादक कम्पनी

को उसके द्वारा देय बिजली हेतु कोई भी प्रभार बिजली हेतु प्रभारों के अतिरिक्त कोई भी राशि अदा करने की अवहेलना करता है तो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादक कम्पनी, ऐसे व्यक्ति को लिखित में स्पष्ट पंद्रह दिनों का नोटिस देने के पश्चात तथा मुकदमें द्वारा ऐसे प्रभारों अथवा अन्य राशि को वसूलने हेतु अपने अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, बिजली की आपूर्ति काट सकती है तथा उस उद्देश्य हेतु किसी भी बिजली आपूर्ति लाईन को काटना या हटाना अथवा अन्य निर्माण कार्य ऐसे अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादक कम्पनी की सम्पत्ति है जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति, संचारण तथा संवितरण प्रदान की गई है तथा वह आपूर्ति को तब तक बंद रखेगा जब तक की इसके द्वारा आपूर्ति को काटने एवं दोबारा जोड़े जाने पर किए गए व्यय सहित ऐसे प्रभार अथवा अन्य राशि एक साथ अदा नहीं की जाती।

इस विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार भी “कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद इस धारा के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता से देय कोई राशि को उस तिथि, जब ऐसी राशि प्रथम बार देय हुई, से दो वर्षों की अवधि के पश्चात वसूलनीय नहीं होगी जब तक कि ऐसी राशि को आपूर्ति की गई बिजली के प्रभारों के बकाया के रूप में लगातार न दर्शाया जा रहा हो तथा अनुज्ञप्तिधारी बिजली की आपूर्ति को नहीं काटेगा”।

चण्डीगढ़ प्रशासन, अभियांत्रिकी विभाग (विद्युत स्कंध) ने अधिसूचना दिनांक 30 जून 2005 के माध्यम से 1 अगस्त 2005 से बिजली टैरिफ दरों का संशोधन किया। इस अनुसूची के अनुसार, बड़े आपूर्ति उपभोक्ताओं (ब.आ.), मध्यम आपूर्ति (म.आ.) थोक आपूर्ति तथा गैर-आवासीय आपूर्ति (गै.आ.आ.) उपभोक्ताओं को प्रति माह ऊर्जा प्रभार-336 पैसे/ईकाई की दर तथा निर्धारित प्रभार 60 प्रति कि.वा. की दर पर अथवा संस्वीकृत भार का इसका भाग अदा करना था।

चण्डीगढ़ विद्युत विभाग (च.वि.वि.) के कार्यकारी अभियंता (एक्स.ई.एन.), ओ.पी. डिवीजन के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2014) ने प्रकट किया सं.शा.क्षे. विद्युत विभाग के प्रवर्तन स्कंध ने 06.02.2006 को चण्डीगढ़ औद्योगिक पर्यटन निगम (च.ओ.प.नि.) के अंतर्गत होटल माउंट व्यू (हो.मा.व्यू.) के बिजली कनेक्शन की जांच की तथा पाया कि हो.मा.व्यू. को 682.50 कि.वा. के संस्वीकृत भार के प्रति 2244.340 कि.वा. का भार जोड़ा गया था। इस प्रकार, 1561.840 कि.वा. का अप्राधिकृत विस्तार था। मार्च 2006 में विभाग द्वारा अप्राधिकृत भार के प्रति ₹1171500/- का दण्ड लगाया गया। दण्ड को होटल द्वारा इस दलील पर जमा नहीं किया गया था कि उनका विद्युत भार पहले से ही संस्वीकृत है। मामला फरवरी 2009 तक सहायक कार्यकारी अभियंता (ए.ई.ई.) विद्युत ओ.पी. सब-डिवसब-डिवीजन सं.-2, एक्स.ई.एन., च.ओ.प.नि. चण्डीगढ़ तथा एक्स.ई.एन., विद्युत ओ.पी. डिवीजन सं. 1 के बीच पत्राचारधीन रहा।

ए.ई.ई. विद्युत ओ.पी. सब.डिवीजन 2 ने फरवरी 2009 में एक्स.ई.एन. विद्युत ओ.पी. डिवीजन सं. 1 को सूचित किया कि हो.मा.व्यू. को 982.50 कि.वा. तथा 1559.870 कि.वा. (कुल 2543 कि.वा.) का भार अक्तूबर 1990 में अधीक्षक अभियंता, विद्युत ओ.पी. परिमण्डल सं.शा.क्षे. द्वारा संस्वीकृत किया गया था परंतु इस भार को उपभोक्ता द्वारा शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण से नियमित नहीं किया गया था। यदि भार को पहले से नियमित माना

जाए तो उपभोक्ता से 01 अगस्त, 2005 से ₹ 60/- प्रति कि.वा. की दर से निर्धारित प्रभार वसूले जा सकते हैं तथा अनुशंसा की जाती है कि भार के विस्तार को ₹ 62,55,780 (2543 कि.वा. हेतु 60 प्रति माह की दर पर 01 अगस्त 2005 से 31 जनवरी 2009 तक 41 महीने) के निर्धारित प्रभारों को प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही नियमित किया जाए। विभाग ने, विभाग के भीतर लम्बे पत्राचार के पश्चात् 79 महीनों की अवधि (01 अगस्त 2005 से 04 मार्च 2012) के लिए 1860 कि.वा. (2543-683) के अतिरिक्त भार हेतु 01 अगस्त 2005 से लागू टैरिफ अधिसूचना निर्धारित प्रभारों के लिए ₹ 60/- की दर पर हो.मा.व्यू. को मार्च 2012 में ₹ 87,11,160 की माँग प्रस्तुत की।

होटल माउंट व्यू ने माँगी राशि अदा करने से इंकार कर दिया तथा विरोध किया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार विभाग दो वर्षों की अवधि के बाद राशि वसूलने हेतु उत्तरदायी नहीं है। हो.मा.व्यू ने मामले को विवाद निपटान समिति (वि.नि.स.) को प्रेषित किया। वि.नि.स. ने दिसम्बर 2012 में 04 मार्च 2010 से 04 मार्च 2012 तक दो वर्षों के ₹26,78,400 के निर्धारित प्रभारों को वसूलने का आदेश दिया। हो.मा.व्यू द्वारा ₹26,78,400 का भुगतान फरवरी 2013 में किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्या विद्युत विभाग, चण्डीगढ़ ने स्वयं फरवरी 2009 में निर्धारित प्रभार के लिए माँग की, जब यह उनके ध्यान में आया कि ₹40.18 लाख की राशि को वसूला जा सकता था। (मार्च 2007 से फरवरी 2010-36 महीने X 60 प्रति कि.वा. प्रभार X 1860 कि.वा.), यद्यपि, लम्बे आंतरिक पत्राचार ने लगभग तीन वर्ष व्यर्थ किए थे और मार्च 2012 में माँग प्रस्तुत की गई थी। ऐसे आहरण माँगों को समय पर प्रस्तुत करने हेतु उन्नत दक्षता तथा अच्छी प्रणालियों की माँग करते हैं।

मामला भा.स., गृ.मं. तथा सचिव वित्त, सं.शा.क्षे. को प्रेषित किया गया था (सितम्बर 2014); उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र, दादर एवं नागर हवेली, पर्यटन विभाग

3.2.4 किराए की आय पर सेवा-कर का संग्रहण न होना

पर्यटन विभाग, दादर एवं नागर हवेली ने पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर सेवा कर नहीं लगाया था। इसके परिणामस्वरूप पट्टाधारकों तथा पर्यटकों से ₹32.74 लाख के सेवा कर की वसूली नहीं हुई थी तथा फलस्वरूप सेवा कर के विलंबित भुगतान के कारण ₹18.79 लाख के ब्याज का भुगतान देयता के रूप में हुआ था।

अचल संपत्ति को किराए पर लिए जाने को अधिसूचना सं. 23/2007 के माध्यम से सेवा कर की सीमा के अंतर्गत लाया गया था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (90क) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार, “अचल संपत्ति को किराए पर दिए जाने” में किराए पर दिए जाना, भाड़े पर देना, पट्टा लाइसेंस या कार्यप्रणाली में उपयोग हेतु अचल संपत्ति के अन्य समान प्रबंध या व्यापार या वाणिज्य के भाग बढ़ाना शामिल था। तदनुसार किराए पर दी गई संपत्ति के लिए, किराए के अलावा, समय-समय पर सेवा कर विभाग द्वारा निर्दिष्ट दर पर सेवा कर की भी वसूली की जानी थी तथा उसे सरकारी खाते में जमा करवाना

था। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 में सेवा कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनिवार्य प्रभार प्रदत्त है।

पर्यटन विभाग, सिलवासा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि पर्यटन विभाग, सिलवासा ने निजी दलों को पट्टे पर/पर्यटकों को किराए पर संपत्तियां दी थी;

- (1) चौड़ा में वनविहार पर्यटक परिसर को 28 दिसम्बर 2001 से वनधारा रिसॉर्ट्स प्राइवेट लि.मि. को ₹15,71,400/- प्रतिवर्ष की दर पर पट्टे पर दिया गया था,
- (2) होटल यात्री निवास, सिलवासा को पॉप्यूलर होटल, सिलवासा को 23, अप्रैल 2011 से ₹15,11,155/- की दर पर पट्टे पर दिया गया था,
- (3) फास्ट फूड रेस्टोरेंट, सिलवासा को 08, मई 2007 से ₹1,40,001/- की दर पर ब्लू हेवन हॉस्पिटलिटिस को पट्टे पर दिया गया था,
- (4) दुधनी तथा कंचा में 18 बंगलों को पर्यटक विभाग द्वारा पर्यटकों को किराए पर दिया गया था।

वनधारा रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पॉप्यूलर होटल, सिलवासा तथा ब्लू हेवन हॉस्पिटलिटिस, सिलवासा में निष्पादित पट्टा अनुबंधों के अनुसार पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई भुगतान योग्य अन्य प्रभारों को पट्टेदार द्वारा अलग से भुगतान करने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि पर्यटन विभाग ने न तो पट्टा धारकों से ₹25.85 लाख का सेवाकर एकत्रित किया था और न ही उसका भुगतान सेवा कर विभाग को किया था। इसके अलावा, धुधनी एवं कंचा में स्थित 18 बंगले क्रमशः ए.सी. तथा नॉन ए.सी. कमरों के लिए ₹1500/- एवं ₹1000/- प्रतिदिन की दर पर पर्यटन विभाग, सिलवासा द्वारा किराए पर दिए गए थे। हालांकि, 2007-08 से लेकर 2013-14 तक पर्यटकों से ₹6.89 लाख (अनुबंध-XII) का सेवाकर प्रभारित नहीं किया गया था तथा इसकी वसूली नहीं की गई थी। उस समय से, सेवा कर के संग्रहण का प्राथमिक उत्तरदायित्व सेवा प्रदानकर्ता अर्थात् पर्यटन विभाग का है, विभाग द्वारा ₹18.79 लाख (अनुबंध-XII) के ब्याज का भी भुगतान किया जाना था। इस प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर पर्यटन विभाग द्वारा सेवाकर के न लगाए जाने के कारण विभाग पर ₹51.54 लाख (अनुबंध -XII) की देयता होगी जिसे कि अगर पट्टेदारों से संग्रहित नहीं किया जाएगा तो इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा।

इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 2014) विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) और सूचित किया कि सेवाकर नाम पर दोनों दलों से ₹10.01 लाख की राशि की वसूली की गई थी। शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित थी।

सं.शा.क्षे. सरकार को उपयुक्त रूप से अपने विभागों तथा कार्यालयों की संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है ताकि सांविधिक कर तथा उगाही संग्रहित की जा सके तथा इसका भुगतान समय पर किया जाए।

मामले को दिसम्बर 2014 में गृह मंत्रालय को मामला प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव, पर्यटन विभाग

3.2.5 राजस्व की हानि

दमन जिले के जमपूर एवं देवका के समुद्री तटों पर अस्थाई झोपड़ियों के निर्माण हेतु योजना को कार्यान्वित करने में सं.शा.क्षे. प्रशासन के विफल होने के कारणवश ₹114.60 लाख की राशि तक की राजस्व हानि हुई थी।

पर्यटन निदेशक, दमन, (जून 2011) ने दिनांक 27 जून 2011 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से 'दमन जिले के जमपूर एवं देवका के समुद्री तटों पर अस्थाई झोपड़ियों के निर्माण' के लिए योजना संस्वीकृत की थी। योजना के अनुसार, प्रदान की गई अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध होगी तथा इसे नवीकृत/पुनर्आवटित करना विभाग का निर्णय होगा। प्रत्येक लाभार्थी को उसे प्रदान की गई अवधि हेतु ₹15000/- की राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा। प्रत्येक झोपड़ियों के आवंटिती से ₹15,000 की जमा प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक वर्ष लाइसेंसों का नवीकृत किया जाएगा।

सं.शा.क्षे. के पर्यटन विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में योजना के कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थीं;

(क) लाइसेंसों का नवीकरण न किए जाने के कारण हानि।

एक अवधि (अक्तूबर से जून) के लिए नवम्बर 2011 में जमपूर समुद्री तट पर 50 झोपड़ियों के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। योजना में प्रावधान था कि प्रत्येक आवंटिती से ₹15,000 प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक लाइसेंसों को नवीकृत किया जाएगा। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंसों को नवीकृत नहीं किया था तथा झोपड़ियों का उपयोग नवीकरण शुल्क के भुगतान के बिना ही किया जा रहा था। इस प्रकार, लाइसेंसों के नवीकरण न किए जाने के कारण विभाग को ₹22.50 लाख (15000 X 50 छोटे कमरे X 3 वर्ष) के राजस्व की हानि हुई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति अपने उत्तर में, विभाग ने बताया (अप्रैल 2015) कि किसी लाइसेंस को नवीकृत नहीं किया गया था क्योंकि ड्राफ्ट नीति तैयार थी परंतु उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि प्रत्येक पहलू को आवृत करते नीति को जून 2011 में बना लिया गया था, इसके बावजूद वह समय-समय पर नवीकरण शुल्क को एकत्रित करने के तंत्र को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

(ख) सरकारी खातों में ₹7.5 लाख जमा न किया जाना

विभाग ने जमपोर समुद्री तट पर झोपड़ियों के लिए 50 लाइसेंस जारी किए (नवम्बर, 2011) तथा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक आवंटिती से ₹15000 जमा के रूप में प्राप्त किए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि डिमांड ड्राफ्टों को सरकारी खातों में जमा करने में विभाग विफल हुआ तथा इन ड्राफ्टों को तीन वर्षों से भी अधिक तक कार्यालय में रखा गया था। इसलिए, विभाग की लापरवाही के कारण ₹ 7.50 लाख का राजस्व सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया था जिसके कारणवश सरकार को हानि हुई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति अपने उत्तर में विभाग ने बताया (अप्रैल 2015) कि ₹ 7.50 लाख की राशि को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एकत्रित किया गया था तथा बैंक में जमा करते समय इसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। हालांकि, बैंक एवं झोपड़ियों के आवंटियों के साथ मिलकर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जमपोर एवं देवका समुद्री तट पर 141 झोपड़ियों का अवैध रूप से उपयोग किया जाना।

नीति का प्रमुख उद्देश्य इन समुद्री तटों से अवैध झोपड़ियों को हटाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जमपोर समुद्री तट पर ऐसे 51 झोपड़ियों तथा देवका समुद्री तट पर 90 झोपड़ियां थी जो कि पिछले चार वर्षों से बिना लाइसेंस के उपयोग किए जा रहे थे। हालांकि, विभाग ने अवैध झोपड़ियों को हटाने/नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार, जबकि झोपड़ियां बिना लाइसेंस के उपयोग में लाए जा रहे हैं, विभाग की ओर से अनिर्णय की स्थिति के कारणवश ₹ 84,60,000 (15,000 X 141 X 4 वर्ष) के राजस्व की हानि हुई थी। विभाग ने बताया कि चूंकि ड्राफ्ट नीति तैयार थी परंतु उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए अवैध झोपड़ियों को हटाने/नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा की दृष्टि में जून 2011 में जारी की गई अधिसूचना में जमपोर एवं देवका समुद्री तटों पर अस्थाई झोपड़ियों के निर्माण हेतु नीति तैयार करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था। सं.शा.क्षे. प्रशासन अधिसूचना की नियमों एवं शर्तों को कार्यान्वित करने में विफल रहा जिसके कारणवश ₹30 लाख की हानि हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड ड्राफ्टों को समय पर सरकारी खातों में जमा नहीं किया गया था तथा झोपड़ियों के आवंटियों से नवीकरण शुल्क का उदग्रहण नहीं किया गया था। इसके अलावा, अवैध झोपड़ियों पर कार्रवाई न किए जाने के कारण भी सरकार को ₹84.60 लाख के राजस्व की हानि हुई थी।

2015 की प्रतिवदेन सं. 32

मार्च 2015 में सं.शा.क्षे. प्रशासन तथा मई 2015 में मंत्रालय को मामला प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था

नई दिल्ली
दिनांक:

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(पैरा सं. 2.1.4.1 के संदर्भ में)

अं.ल.प.नि. द्वारा 2011-14 के दौरान निष्पादित किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)	स्थिति
1.	एरियल खाड़ी में पहुँच घाट का पुनर्निर्माण	3,27,98,059	पूर्ण
2.	बर्धिंग जैटी हैवलॉक के ऊपर यात्री शरणगृह का निर्माण	7,00,000	पूर्ण
3.	कारनिकोबार में एम.यू.एस. पर समुद्र के किनारे जलविभाजन पर 170 मी. चेनेज तक पटरी उपलब्ध कराना	7,75,88,000	पूर्ण
4.	जलविभाजन परिसर में हट बे-पोर्ट में फायरमैन के लिए अग्नि बैरक सुविधाओं का निर्माण	11,70,000	पूर्ण
5.	मायाबन्दर में जगन्नाथ डेरा में एच.डी.पी.ई. अस्थायी घाट उपलब्ध कराना	23,00,000	पूर्ण
6.	मायाबन्दर में हंसपुरी में एच.डी.पी.ई. अस्थायी घाट उपलब्ध कराना	38,00,000	पूर्ण
7.	ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में चिंगम बस्ती में 7 कि.मी घाट पर ठोस पहुँच सड़क का निर्माण	15,00,000	पूर्ण
8.	हितुई गांव में यात्री शेड का निर्माण	10,30,016	पूर्ण
9.	मुनक गांव में यात्री शेड का निर्माण	10,82,878	पूर्ण
पूर्ण किए गए कुल निर्माण कार्य		12,19,68,953	
10.	बारातंग में पत्तन नियंत्रण टॉवर का निर्माण	29,15,412	पूर्ण नहीं किया
11.	सागर द्वीप में न्यू बर्धिंग घाट का निर्माण	2,35,00,000	पूर्ण नहीं किया
12.	हैवलॉक घाट का 100 मीटर तक विस्तारण	2,84,24,000	पूर्ण नहीं किया
13.	आर सी सी घाट का पुनर्निर्माण	1,32,76,027	पूर्ण नहीं किया
14.	कैम्पबैल घाटी में गहरे जल घाट के लिए नौबंद डॉलफिन एवं कठिन संस्तर निकर्षण हेतु 2 नंबर का निर्माण	2,95,17,974	पूर्ण नहीं किया
15.	हटबे स्थित जल विभाजन आधार पर यात्री हॉल का निर्माण	1,35,00,187	पूर्ण नहीं किया
16.	हाड्डो स्थित बर्थ सं. 2 के पीछे गोदाम सं. 5 एवं 6 के बीच ठोस कंक्रीट सड़क उपलब्ध कराना	44,28,000	पूर्ण नहीं किया
17.	हाड्डो घाट पर नई वर्कशॉप भवन के निकट वाहन पार्किंग शेड का निर्माण	98,77,000	पूर्ण नहीं किया
18.	कचाल स्थित अर्न्तद्वीपीय जलयानों हेतु घाट का निर्माण	50,00,000	पूर्ण नहीं किया
19.	जंगलीघाट में आर.सी.सी. फिंगर में इंडस फिंगर जैटी में घाट क्रेन मार्ग उपलब्ध कराना	82,61,000	पूर्ण नहीं किया
20.	हाड्डो घाट में हाल में निर्मित कैन्टीन भवन के निकट कंटेनर ढलाई कार्यों के लिए कम्प्यूटर की सुविधाओं सहित परिचालनात्मक कार्यालय का निर्माण	3,00,000	पूर्ण नहीं किया
21.	टैरेसा में सुरक्षित बालु में जैटी का निर्माण (टैरेसा द्वीपसमूह पर ड्राफ्टस्पीड नौकाओं के लिए 3 मीटर के घाट का निर्माण)	17,68,32,056	पूर्ण नहीं किया
22.	कार निकोबार में मलक्का घाट को तत्काल पुनः आरंभ किया जाना	36,03,034	पूर्ण नहीं किया
पूर्ण न किए गए कुल निर्माण कार्य		31,94,34,690	
सकल योग		44,14,03,643	

अनुबंध-II
(पैरा सं. 2.1.5.2 देखें)

कंटेनर कार्गो का संचालन करने के लिए सरकारी श्रमिकों को प्रोत्साहन राशि का अधिक भुगतान किया गया

उप-प्रभाग				
वर्ष	क प्रभाग के अंतर्गत सरकारी श्रमिकों को दिया गया अधिक प्रोत्साहन	ख प्रभाग के अंतर्गत सरकारी श्रमिकों को दिया गया अधिक प्रोत्साहन	ग प्रभाग के अंतर्गत सरकारी श्रमिकों को दिया गया अधिक प्रोत्साहन	कुल (₹)
2011-12	2905206	1023902	2070979	6000088
2012-13	1124092	2227306	1558101	4909499
2013-14	2713675	2162309	2238332	7114316
कुल				18023903
टिप्पणी:- श्रमिकों को किए गए कुल अधिक प्रोत्साहन भुगतान में उनको रविवारों तथा औद्योगिक अवकाशों पर किए गए भुगतान की राशि शामिल नहीं है क्योंकि उन्होंने इस पर अलग से टिप्पणी की है (पैरा 2.1.5.4)।				

अनुबंध-III

(पैरा सं. 2.1.5.3 देखें)

वर्ष 2011-14 के दौरान ए.एल.एफ. स्टाफ को दी गई अतिरिक्त मजदूरी के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान रविवारों तथा अन्य औद्योगिक अवकाशों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान दी गई अतिरिक्त मजदूरी के दिनों की संख्या	वर्ष के दौरान जहाजी दिनों की संख्या	अन्तर (कॉ. 33-कॉ-4)	वर्ष के दौरान दी गई कुल अतिरिक्त मजदूरी राशि ₹ में	ए.एल.एफ श्रमिकों की कुल संख्या जिन्हे वर्ष के दौरान अतिरिक्त मजदूरी दी गई	वर्ष के दौरान वास्तव में लगाए गए श्रमिकों की कुल संख्या	कार्य पर लगाए गए अतिरिक्त श्रमिक (कॉ-7-कॉ-8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011-12	62	62	25	37	79,14,123	2941	942	1999
2012-13	68	68	39	29	95,60,750	2803	1289	1514
2013-14	60	60	31	29	89,55,677	2672	1121	1551
	190	190	95	95	2,64,30,550	8416	3352	5064

प्रत्येक ए.एल.एफ. श्रमिक की अतिरिक्त मजदूरी = 2011-14 के दौरान दी गई कुल अतिरिक्त मजदूरी = ₹26430550 = ₹3140.51,
2011-14 के दौरान कार्य पर लगाए गए कुल- ए.एल.एफ. श्रमिक-8416

अधिक भुगतान= प्रत्येक श्रमिक मजदूरी की अतिरिक्त X 2011-14 के दौरान लगे अतिरिक्त श्रमिक = 3140.51 X 5046 अतिरिक्त श्रमिक=₹1,58,47,013

अनुबंध-IV

(पैरा सं. 2.1.5.3 के संदर्भ में)

वर्ष 2011-14 के दौरान तटीय-मजदूरों को दी गई अतिरिक्त मजदूरी के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान रविवारों तथा अन्य औद्योगिक अवकाशों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान दी गई अतिरिक्त मजदूरी के दिनों की संख्या	वर्ष के दौरान जहाज आने वाले दिनों की संख्या	अन्तर (कों 3-कों-4)	वर्ष के दौरान दी गई कुल अतिरिक्त मजदूरी (राशि ₹ में)	वर्ष के दौरान उन तट-मजदूरों की कुल सं. जिनको वर्ष के दौरान अतिरिक्त मजदूरी दी गई की कुल संख्या का भुगतान किया गया	वर्ष के दौरान जहाज दिवसों पर वास्तव में लगाए गए तट-मजदूरों की कुल संख्या	कार्य पर लगाए गए अतिरिक्त श्रमिक (कों 7- कों 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011-12	62	62	16	46	141110	514	235	279
2012-13	68	68	14	54	1766578	502	174	328
2013-14	60	60	18	42	1482076	444	267	177
	190	190	48	142	4659764	1460	676	784

प्रत्येक तट-मजदूर की अतिरिक्त मजदूरी= 2011-14 के दौरान भुगतान की गई कुल अतिरिक्त मजदूरी= ₹4659764=₹3191.62.

2011-14 के दौरान लगाए गए कुल तट मजदूर 1460

अधिक भुगतान= प्रत्येक श्रमिक की अतिरिक्त मजदूरी X 2011-14 के दौरान कार्य पर लगाए गए अतिरिक्त श्रमिक= ₹3191.62 X 784 अतिरिक्त श्रमिक= ₹25,02,230

अनुबंध -V

(पैरा सं. 2.1.5.4 के संदर्भ में)

ए.एल.एफ. श्रमिकों तथा तट-मजदूरों को रविवारों तथा अवकाशों के दिनों में दिए गए दुगुने प्रोत्साहन राशि का भुगतान दर्शाने वाला विवरण:

(क) ए.एल.एफ. श्रमिकों के संबंध में दुगुने प्रोत्साहन राशि का वर्ष-वार भुगतान

वर्ष	भुगतान की गयी कुल प्रोत्साहन राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹) (₹ 2/2)
1	2	3
2011-12	5320324	2660162
2012-13	7007748	3503874
2013-14	7292353	3646177
कुल	19620425	9810213

(ख) तट मजदूरों के संबंध में दुगुने प्रोत्साहन राशि का वर्षवार भुगतान

वर्ष	भुगतान की गयी कुल प्रोत्साहन राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹) (काँ 22/2)
1	2	3
2011-12	969040	484520
2012-13	1041460	520730
2013-14	1465188	732594
कुल	3475688	1737844

अनुबंध-VI
(पैरा सं. 2.1.6.6 के संदर्भ में)
जहाज कुली ढुलाई प्रभारों को लागू न करने के कारण हानि के
ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	प्राइवेट जहाज कुलियों द्वारा ढोए गए कार्गो (नवम्बर 1996 से मार्च 1997)	जहाज कुली ढुलाई प्रभार की राशि वसूल न किया जाना (₹)
1996-97	86464	216160
1997-98	230824	577060
1998-99	237727	594318
1999-00	345027	630057
2000-01	298471	1129986
2001-02	464212	1706855
2002-03	634877	1416794
2003-04	666847	1542156
2004-05	818097	1840530
2005-06	873090	1913732
2006-07	1529085	3263928
2007-08	2108611	4441659
	कुल	19273235

अनुबंध-VII

(पैरा सं. 2.1.6.6 के संदर्भ में)

जहाज कुली ढुलाई प्रभारों की कम वसूली के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(1) पत्तन का स्थान	प्राइवेट जहाजकुलियो द्वारा ढोए गए कुल कार्गो (मी.ट. में) (2)		लागू दर (₹ में) (3)	वसूल की जाने वाली कुल राशि में (कॉ 2 x कॉ.-3) (₹ में) (4)	2008-13 के दौरान वसूल की गई राशि (₹ में) (5)	कम वसूली (₹ में) (कॉ. 4-कॉ.-5) (6)	
	वर्ष	ढोया गया कार्गो (मी.ट.)					
1. पोर्ट ब्लेयर में	08-09	1291142	2.5	3227855	17302935	9196868	8106067
	09-10	1147675		2869188			
	10-11	890910		2227275			
	11-12	684283		1710708			
	12-13	751393		1878483			
	13-14	805020		2012550			
2. डिगलीपुर, मायाबंदर, रेंगट, हट बे, कार निकोबार, कैम्पबैल बे में	08-09	524171	1.5	786257	17302935	9196868	8106067
	09-10	420124		630186			
	10-11	430612		645918			
	11-12	180421		270632			
	12-13	260055		390083			
	13-14	238024		357036			
3. अन्य पत्तनों में	08-09	154532	1.0	154532	17302935	9196868	8106067
	09-10	60556		60556			
	10-11	शून्य		-			
	11-12	21933		21933			
	12-13	23456		23456			
	13-14	36287		36287			

अनुबंध-VIII

(पैरा सं. 2.8.1 के संदर्भ में)

2002-03 से 2013-14 की अवधि के दौरान एल.डी.सी.एल. के पास जमा राशि

निर्माण कार्य का नाम	जमा की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	व्यय की अवधि	राशि (₹ करोड़ में) 2013-14 में व्यय की गई वापसी	अव्ययित शेष (₹ करोड़ में)
1. 8 लैंडिंग बाज	2007-08 से 2010-11	67.90	2009-10 से 2010-11	12.21	55.69
2. 250 पैक्स पोत	2007-08 से 2009-10	164.70	2007-08 से 2011-12	164.70 समाधान पूर्ण हो गया	शून्य
3. 700 पैक्स पोत	2002-03 से 2006-07	33.10	2005-06 से 2010-11	33.10 समाधान पूर्ण हो गया	शून्य
4. 400 पैक्स पोत	2009-10 से 2013-14	314.37	2010-11 से 2011-12	*188.74	125.63
5. एल पी जी कैरियर पोत	2007-08 से 2013-14	28.95	2008-09 से 2013-14	28.95	शून्य
6. 150 मी.ट. ऑयल बैराज	2010-11		2011-12 से 2012-13	समाधान पूर्ण हो गया	
7. 800 बहुउद्देशीय कार्गो पोत	2008-09 से 2011-12	31.00	-	*2.83	28.17
8. 1000 मी.ट. ऑयल बाज	2008-09 से 2010-11	7.10	-	-	7.10
3X150 पैक्स एच एस सी, 3X50 पैक्स एच एस सी, 1X15 पैक्स एच एस सी,	2002-03 से 2006-07	92.77	2005-06 से 2010-11	85.58	7.19
2X बुलार्ड टगस	2002-03 से 2006-07	9.81	2005-06 से 2010-11	9.81 समाधान पूर्ण हो गया	शून्य
कुल		749.70		525.92	223.78

पहले समाधान नहीं किया गया था। अतः विभाग द्वारा 22 दिसम्बर 2014 तथा 11 मार्च 2014 को भेजे गए पूर्ण परियोजनाओं के संबंध में आंकड़ों के बीच कुछ अंतर था। * एल डी सी एल 2013-14 के लेजर खाते के अनुसार व्यय को लिया गया है।

अनुबंध-IX

(पैरा सं. 2.8.2 के संदर्भ में)

एल डी सी एल से प्राप्त होने वाला ब्याज

परियोजना एवं जमा का वर्ष	एल डी सी एल के देयता विवरण के अनुसार 31 मार्च 2013 तक एल डी सी एल द्वारा यू.टी.एल को देय ब्याज (₹)	एल डी सी एल के देयता विवरण के अनुसार 2013-14 में अर्जित ब्याज (₹)	31-3-2014 को देय कुल ब्याज (₹)
लैंडिंग (07-08 से 10-11)	5853600.00	22277600.00	28131200.00
1000 मी.ट. ऑयल बार्ज(08-09 से 10-11)	3780371.51	2841047.00	6621418.51
400 पी ए एक्स (09-10 से 13-14)	42719939.00	-	42719939.00
250 पी ए एक्स (07-08 से 09-10)	55206983	-55206983.00	शून्य
150 मी.ट. ऑयल बार्ज एवं 250 एल पी जी पोत (06-07 से 07-08)	39991167.12	*7874367.00	47865534.12
800 मी.ट. बार्ज (08-09 से 11-12)	15479474.40	12387573.00	27867047.40
150 मी.ट. ऑयल बार्ज (10-11) एवं 2000 सिलेंडर एल पी जी कैरियर (07-08)	17781527.10	1184894.00	751061.00
जहाज निर्माण लेखा (02-03 से 07-08)	123189470.22	(18215360 वापस किए गए)	
जहाज निर्माण लेखा एच एस एल लेखा (05-06 से 07-08)	41408516.99	(39496 में वापस किए गए)	123149974.22
डेडिकोटेड बर्थ मेनलैंड (10-11 से 11-12)	29217685.31	- 41408516.99	शून्य
डेडिकोटेड बर्थ (08-09)	9804385.58	2013-14 में वापस किया गया	
लघु ईंधन आपूर्ति पोत- 5 सं. (08-09 से 11-12)	8092302.15	16136432.00	45354117.31
वी एच एफ अमाती (03-04 से 04-05)	366439	-	9804385.58
कुल	392891861.38	39630.00	8092302.15
		-52128812.99	406069
			340763048.29

“यह राशि एल डी सी एल द्वारा लिपिकीय गलती के कारण अधिक दी गई थी इसलिए इसको जोड़ से घटाया गया है

घटा

₹ 7874367.00

शेष

₹ 332888681.29

अनुबंध-X
(पैरा सं. 2.9 संदर्भ में)

एच ए ए/एस सी आर एल ए के प्रति कर्मचारियों को अधिक भुगतान किए गए

क्र.सं.	विभाग का नाम	अवधि	एच ए ए/एस सी आर एल ए (कम से कम दो भत्ते आहरित किए गए जिन्हे जब्त किया जाना होता है) (₹ में)
1.	वी डी पी अमिनी (49 मामले)	11/11 से 01/14	9,47,323
2.	वी डी पी बित्तरा (17 मामले)	11/11से 01/14	3,17,081
3.	वी डी पी एंडरोथ (39 मामले)	11/11से 01/14	6,89,740
4.	वी डी पी मिनीकॉय (66 मामले)	04/10 से 01/14	25,69,415
5.	वी डी पी किलतन (23 मामले)	11/11 से 03/12	1,68,032
6.	वी डी पी कलपेनी (मामले)	11/11 से 01/14	7,46,142
7.	वी डी पी काडामट (47 मामले)	11/11 से 01/14	8,68,726
8.	वी डी पी चेतलट (28 मामले)	11/11 से 03/13	3,42,570
9.	प्रकाश गृह और प्रकाश पोत (24 मामले)	11/11 से 01/14	9,32,992
10.	यू टी एल में कार्यरत डी एम सी कोची का स्टाफ	04/11 to 03/14	2,08,241
कुल			77,90,262
11.	भारतीय रिजर्व बटालियन (153)	सितम्बर 2014 के दौरान की गई वसूली	1,96,918
कुल राशि			79,87,180

अनुबंध-XI
(पैरा 2.10 के संदर्भ में)
इंसीनिरेटर्स का प्रापण

विवरण	राशि (₹ लाख में)	विवरण
यू टी एल द्वारा एन आर एच एम के पास जमा की गई कुल राशि	89.90	8 इंसीनिरेटर्स के अधिप्रापण हेतु।
अधिप्रापण हेतु उपयोग की गई राशि	26.97	तीन इंसीनिरेटर्स के अधिप्रापण हेतु उपयोग की गई
अन्य उद्देश्यों हेतु विपथित की गई राशि	23.45	डी एच एस कावारत्ती के लिए वातानुकूलकों की आपूर्ति तथा प्रतिष्ठापन (₹404465) तथा पी एच सी कावारत्ती में प्रतिष्ठापित डॉपलर सहित अल्ट्रा साउंड मशीन की लागत (₹1940346)
एन आर एच एम के पास पड़ा शेष	39.48	

अनुबंध-XII
(पैरा सं. 3.2.4 के सदर्थ में)
किराया आय पर सेवा कर की अप्राप्ति

क्र.सं.	सम्पत्ति का नाम	पट्टा हस्ताक्षर करने की तिथि	पट्टा किराया प्रति वर्ष	2007-08 से 2013-14 तक नहीं अदा किया गया से.क. ¹ की राशि (₹ में)	अदा किए जाने वाला ब्याज ² (₹ में)	देय कुल राशि (₹ में)
1.	होटल यात्रीनिवास सिलवास	23/4/2001	15,11,151	12,12,246	7,47,296	19,59,542
2.	वनविहार पर्यटन परिसर, चौड़ा	28/12/2001	15,71,400	12,60,666	7,77,250	20,37,916
3.	फास्ट फूड रेस्टोरेंट सिलवासा	8/5/2007	1,40,001	1,12,308	68,838	1,81,146
4.	18 बंगले	--	--	6,89,252	2,86,076	9,75,328
			कुल	32,74,472	18,79,460	51,53,932

¹ सेवा कर की दर 2007-08 में 12.24 प्रतिशत 2009-10 से 2011-12 तक 10.30 प्रतिशत, 2008-09 तथा 2012-13 से 2013-14 में 12.36 प्रतिशत

² 2010-11 तक 13 प्रतिशत की दर से तथा 2011-12 में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लागू था।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(पैराग्राफ 1.7 के संदर्भ में)

31 मार्च 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं पैराग्राफों का विवरण

संघीय क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं.	पैराग्राफों की सं.
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	413	1779
चंडीगढ़	1491	3988
दादरा एवं नागर हवेली	90	596
दमन एवं दीव	129	292
लक्षद्वीप	150	827

परिशिष्ट-II
(पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)
वर्ष-वार लंबित का.टि.

क्र.सं.	सं.क्षे.का.नाम	समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन	का. टि. की स्थिति		
			बकाया	बिल्कुल नहीं प्राप्त	पत्राचाराधीन
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2011	1	-	1
		2012	5	-	5
		2013	4	-	4
2.	चंडीगढ़	2012	2	-	2
		2013	1	-	1
3.	दादरा एवं नागर हवेली	-	-	-	-
4.	दमन एवं दीव	-	-	-	-
5.	लक्षद्वीप	2012	1	-	1
कुल			14	-	14

परिशिष्ट-III
(पैराग्राफ सं. 1.9 में संदर्भित)
संघीय क्षेत्रों का मसौदा पैराग्राफों पर जवाब

क्र.सं.	सं.क्षे. का नाम	पैराग्राफों की कुल सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों की सं. तथा संदर्भ जिसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4	2.1,2.2 , 2.3& 3.2.1
2.	चंडीगढ़	2	3.2.2 &3.2.3
3.	दादरा एवं नागर हवेली	2	2.4
4.	दमन एवं दीव	4	2.5, 2.6, 2.7 & 3.2.5
5.	लक्षद्वीप	4	2.8 & 2.10
कुल		16	13

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in